COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

(2019 का अधिनियम संख्यांक 34)

[9 अगस्त, 2019]

विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 है ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह दिन अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ख) "अनुच्छेद" से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ग) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" और "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" के वही अर्थ हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) में हैं ;

(घ) "निर्वाचन आयोग" से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य" से ऐसे राज्यक्षेत्र के, जो भारत के संविधान के प्रारंभ के ठीक पूर्व जम्मू-कश्मीर देशी राज्य में थे, समाविष्ट करके नियत दिन से ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य अभिप्रेत है ;

(च) "विधि" के अंतर्गत संपूर्ण विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य में या उसके किसी भाग में, नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत हैं ;

(छ) "विधान सभा" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा अभिप्रेत है ;

(ज) "उपराज्यपाल" से राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्रका प्रशासक अभिप्रेत है ;

(झ) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(ञ) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में, "जनसंख्या अनुपात" से 2011 की जनगणना के अनुसार अनुपात अभिप्रेत है ;

(ट) संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में, "अनुसूचित जातियों" से ऐसी जातियां, मूलवंश या जनजातियां या ऐसी जातियों, मूलवंशों या जनजातियों के भाग या उनके समूह अभिप्रेत हैं, जिन्हें उस संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा गया है ;

(ठ) संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में, "अनुसूचित जनजातियों" से ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदाय के भाग या उनमें के समूह अभिप्रेत हैं, जिन्हें उस संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा गया है ;

(ड) संसद् के किसी सदन या विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान-मंडल के संबंध में, "आसीन सदस्य" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन का सदस्य है ;

(ढ) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में, "संघ राज्यक्षेत्र" से, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रअभिप्रेत है ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ण) "अंतरित राज्यक्षेत्र" से वह राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो नियत दिन को विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य से इस अधिनियम की धारा 3 और धारा 4 के अधीन बनाए गए संघ राज्यक्षेत्रों को अंतरित किया गया है ; और

(त) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के किसी जिला, तहसील या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह नियत दिन को उस प्रादेशिक खंड में समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है ।

भाग 2

जम्मू-कश्मीर राज्य का पुनर्गठन

3. विधान-मंडल के बिना लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रका बनाया जाना—नियत दिन से ही, एक नया संघ राज्यक्षेत्रबनाया जाएगा, जिसका नाम लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रहोगा, जिसमें विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे, अर्थात् :—

"कारगिल और लेह जिले",

और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के भाग नहीं रहेंगे ।

4. विधान-मंडल के साथ जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका बनाया जाना—नियत दिन से ही, एक नया संघ राज्यक्षेत्रबनाया जाएगा, जिसका नाम जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रहोगा, जिसमें उन राज्यक्षेत्रों से भिन्न, जो धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे ।

5. विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्यपाल का एक ही उपराज्यपाल होना—नियत दिन से ही, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यपाल, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रका, ऐसी अवधि के लिए, उपराज्यपाल होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाए ।

6. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही**,** संविधान की पहली अनुसूची में**,** "1. राज्य" शीर्षक के अन्तर्गत**,**—

(क) प्रविष्टि 15 को हटा दिया जाएगा ;

(ख) प्रविष्टि 16 से प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 15 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा ।

(ग) "2. संघ राज्यक्षेत्र" शीर्षक के अन्तर्गत**,**—

प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"8. जम्मू-कश्मीर : वे राज्यक्षेत्र, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम**,** 2019 की धारा 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

9. लद्दाख **:** वे राज्यक्षेत्र, जो जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम**,** 2019 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं ।

7. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार की व्यावृत्ति शक्तियां—इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की कोई बात, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार की, नियत दिन के पश्चात्, उस संघ राज्यक्षेत्रके किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

भाग 3

विधान-मंडल में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

8. संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन—नियत दिन से ही, संविधान की चौथी अनुसूची की सारणी में,—

(क) प्रविष्टि 21 को हटाया जाएगा ;

(ख) प्रविष्टि 22 से प्रविष्टि 31 को क्रमश: प्रविष्टि 21 से प्रविष्टि 30 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा ;

(ग) प्रविष्टि 30 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"31. जम्मू-कश्मीर ..... 4" ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

9. आसीन सदस्यों का आबंटन—(1) नियत दिन से ही, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के चार आसीन सदस्य, इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको आबंटित स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे ।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी ।

लोक सभा

10. लोक सभा में प्रतिनिधित्व—नियत दिन से ही, लोक सभा में उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको पांच स्थान और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको एक स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की पहली अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

11. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) नियत दिन से ही, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निदेशित रूप से संशोधन किया जाएगा ।

(2) निर्वाचन आयोग, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में विनिर्दिष्ट स्थानों के आबंटन के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रतथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके लिए लोक सभा का निर्वाचन करा सकेगा ।

12. आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध—(1) उस निर्वाचन-क्षेत्र का, जो धारा 10 के उपबंधों के आधार पर नियत दिन को, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, यथास्थिति, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको आबंटित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हो गया है ।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी ।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल और विधान सभा

10. लोक सभा में प्रतिनिधित्व—नियत दिन से ही, लोक सभा में उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको पांच स्थान और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको एक स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की पहली अनुसूची तद्नुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

11. संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) नियत दिन से ही, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 का इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निदेशित रूप से संशोधन किया जाएगा ।

(2) निर्वाचन आयोग, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 में विनिर्दिष्ट स्थानों के आबंटन के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रतथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके लिए लोक सभा का निर्वाचन करा सकेगा ।

12. आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध—(1) उस निर्वाचन-क्षेत्र का, जो धारा 10 के उपबंधों के आधार पर नियत दिन को, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, यथास्थिति, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको आबंटित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हो गया है ।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित रहेगी ।

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल और विधान सभा

13. संविधान के अनुच्छेद 239क का लागू होना—नियत दिन से ही, अनुच्छेद 239क में [1][या किसी अन्य अनुच्छेद में, जिसमें राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के प्रति निर्देश अन्तर्विष्ट है] अंतर्विष्ट उपबंध, जो "पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र" को लागू होते हैं, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र" को भी लागू होंगे ।

14. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए विधान सभा और उसका गठन— (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए एक प्रशासक नियुक्त किया जाएगा और उसे उक्त संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल के रूप में अभिहित किया जाएगा ।

(2) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए एक विधान सभा होगी ।

[1] 2021 के अधिनियम सं० 2 की धारा 2 द्वारा अंत:स्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या एक सौ सात होगी ।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके पाकिस्तान के दखल वाले क्षेत्र का दखल में नहीं हटा दिया जाता है और उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुन लेते हैं, तब तक,—

(क) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में चौबीस स्थान रिक्त रहेंगे और सभा की कुल सदस्यता की गणना में उन्हें हिसाब में नहीं लिया जाएगा ; और

(ख) उक्त क्षेत्र या स्थानों को, इस अधिनियम के भाग 5 के अधीन यथा उपबंधित प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन में अपवर्जित किया जाएगा ।

(5) नियत दिन से ही, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको यथा लागू सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1995 का, इस अधिनियम की तीसरी अनुसूची में निदेशित रूप से संशोधन किया जाएगा ।

(6) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे ।

(7) उपधारा (6) के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी अनुसूचित जातियों की अथवा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी अनुसूचित जनजातियों की, जिनके संबंध में स्थान इस प्रकार आरक्षित जनसंख्या का अनुपात जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी कुल जनसंख्या से है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में "जनसंख्या" पद से ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना में, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है :

परन्तु इस स्पष्टीकरण में ऐसी अंतिम पूर्वगामी जनगणना के, जिसके तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, प्रति निर्देश का अर्थ तब तक, जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् की गई पहली जनगणना के तत्संबंधी आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2011 की जनगणना के प्रति निर्देश है ।

(8) उपधारा (6) में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण उस तारीख से समाप्त हो जाएगा, जिसको भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के अधीन लोक सभा में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण समाप्त होगा ।

(9) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्षक के अधीन,—

"(क) प्रविष्टि 10 को हटाया जाएगा" ।

"(ख) प्रविष्टि 11 से प्रविष्टि 29 को प्रविष्टि 10 से प्रविष्टि 28 के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा" ।

(10) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, "2. संघ राज्यक्षेत्र" शीर्षक के अन्तर्गत,—

(क) प्रविष्टि 2 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3	4	5	6	7
"3. जम्मू-कश्मीर	83	6	……	83	6	……"

(11) भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 327 तक के और अनुच्छेद 329 के उपबंध जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र, उसकी विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी राज्य, किसी राज्य की विधान सभा और उसके सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ; और अनुच्छेद 326 और अनुच्छेद 329 में "समुचित विधान सभा" के प्रति निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह संसद् के प्रति निर्देश है ।

15. स्त्रियों का प्रतिनिधित्व—धारा 14 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल, यदि उसकी यह राय है कि विधान सभा में स्त्रियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए विधान सभा में दो सदस्यों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

16. विधान सभा की सदस्यता के लिए अर्हता—कोई व्यक्ति विधान सभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब—

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) वह भारत का नागरिक हो और वह निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है ;

(ख) वह कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का है ; और

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो इस निमित्त संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं ।

17. विधान सभा की अवधि—विधान सभा, यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं और पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधान सभा का विघटन होगा :

परंतु उक्त अवधि को, जब अनुच्छेद 352 के खंड (1) के अधीन निकाली गई आपात् की उद्घोषणा प्रवर्तन में है, तब राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा ।

18. विधान सभा का सत्र, सत्रावसान और विघटन—(1) उपराज्यपाल, समय-समय पर, विधान सभा को ऐसे समय और स्थान पर, जो वह ठीक समझे, अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच छह मास का अंतर नहीं होगा ।

(2) उपराज्यपाल, समय-समय पर,—

(क) सदन का सत्रावसान कर सकेगा ;

(ख) विधान सभा का विघटन कर सकेगा ।

19. विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष—(1) विधान सभा, यथाशक्यशीघ्र, अपने दो सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी और जब-जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब-तब विधान सभा किसी अन्य सदस्य को, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी ।

2)) विधान सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य,—

(क) यदि विधान सभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा,

(ख) किसी भी समय, यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ;

(ग) विधान सभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा :

परन्तु खंड (ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो :

परन्तु यह और कि जब कभी सभा का विघटन किया जाता है, तो विघटन के पश्चात् होने वाले सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा ।

(3) जब अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या यदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त है तो विधान सभा का ऐसा सदस्य जो विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, उस पद के कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(4) विधान सभा की किसी बैठक से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति, जो विधान सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा अवधारित किया जाए, या यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विधान सभा द्वारा अवधारित किया जाए, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा ।

(5) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा, विधि द्वारा, नियत करे और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन और भत्तों का, जो उपराज्यपाल आदेश द्वारा, अवधारित करे, संदाय किया जाएगा ।

20. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उसका पीठासीन न होना—(1) विधान सभा की किसी बैठक में, जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब अध्यक्ष, या जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, तब उपाध्यक्ष, उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और धारा 19 की उपधारा (4) के उपबंध ऐसी

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अनुपस्थित है ।

(2) जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान सभा में विचाराधीन है तब उसको विधान सभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह धारा 25 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

21. विधान सभा में उपराज्यपाल का विशेष अभिभाषण—(1) उपराज्यपाल विधान सभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात् प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधान सभा में अभिभाषण करेगा और विधान सभा को उसके आह्वान के कारण बताएगा ।

(2) विधान सभा की प्रकिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा, ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए, उपबंध किया जाएगा ।

22. विधान सभा के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार—जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके प्रत्येक मंत्री और महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह विधान सभा में बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधान सभा की किसी समिति की कार्यवाही में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस धारा के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा ।

23. विधान सभा में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का उपराज्यपाल का अधिकार—(1) उपराज्यपाल विधान सभा में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) उपराज्यपाल विधान सभा में उस समय लम्बित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश भेज सकेगा और जब ऐसा कोई संदेश इस प्रकार भेजा जाता है, तब विधान सभा उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगी ।

24. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान—विधान सभा का प्रत्येक सदस्य अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, उक्त संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष चौथी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।

25. सभा में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सभा की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति—(1) इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विधान सभा की बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा ।

(2) अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा ।

(3) विधान सभा की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी, उस सभा को कार्य करने की शक्ति होगी और यदि बाद में यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा करने का हकदार नहीं था, कार्यवाहियों में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है या अन्यथा भाग लिया है तो भी विधान सभा की कार्यवाही विधिमान्य होगी ।

(4) विधान सभा का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति विधान सभा के दस सदस्यों से या सदस्यों की कुल संख्या का एक बटा दसवां भाग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी ।

(5) यदि विधान सभा के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो अध्यक्ष या उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सभा को स्थगित कर दे या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे, जब तक गणपूर्ति नहीं हो जाती है ।

26. स्थानों का रिक्त होना—(1) कोई व्यक्ति, संसद् तथा विधान सभा दोनों का सदस्य नहीं होगा और यदि कोई व्यक्ति संसद् तथा ऐसी सभा, दोनों का सदस्य चुन लिया जाता है, तो ऐसी अवधि की समाप्ति के पश्चात्, जो राष्ट्रपति द्वारा नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, उस व्यक्ति का संसद् में स्थान रिक्त हो जाएगा, जब तक कि उसने उक्त संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में अपने स्थान को पहले ही नहीं त्याग दिया है ।

(2) यदि विधान सभा का कोई सदस्य,—

(क) सभा की सदस्यता के लिए धारा 27 या धारा 28 में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है ; या

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने स्थान का त्याग कर देता है और उसका त्यागपत्र अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है,

तो ऐसा होने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा ।

(3) यदि विधान सभा का सदस्य साठ दिन की अवधि तक सभा की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है तो सभा उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगी :

परंतु साठ दिन की उक्त अवधि की संगणना करने में किसी ऐसी अवधि को हिसाब में नहीं लिया जाएगा जिसके दौरान सभा सत्रावसित या निरंतर चार से अधिक दिनों के लिए स्थगित रहती है ।

27. सदस्यता के लिए निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार के या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार या प्रशासन के अधीन या ऐसे पद को छोड़कर, जिसके धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् द्वारा या विधान सभा द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के उपबंधों के अधीन अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तत्समय निरर्हित है ।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का या ऐसे संघ राज्यक्षेत्रका मंत्री है ।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान सभा का कोई सदस्य उपधारा (1) और उपधारा2)) के उपबंधों के अधीन किसी निरर्हता के अधीन हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न उपराज्यपाल के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले उपराज्यपाल, निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा ।

28. सदस्य होने के लिए दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता—संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों के अधीन रहते हुए (जिसके अंतर्गत यह उपांतरण भी है कि उसमें राज्य की विधान सभा, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 212 के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि वे, क्रमश:, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा और इस अधिनियम की धारा 24, धारा 30 और धारा 50 के प्रति निर्देश हैं) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी राज्य की विधान सभा के सदस्यों को और उनके संबंध में लागू होते हैं, और तद्नुसार :—

(क) इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची इस अधिनियम का भाग समझी जाएगी ; और

(ख) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य होने से निरर्हित होगा, यदि वह इस प्रकार उपांतरित उक्त दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित है ।

29. शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति—यदि विधान सभा में कोई व्यक्ति धारा 24 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि वह उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं है या निरर्हित कर दिया गया है, उसे संसद् या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने के लिए प्रतिषिद्ध किया गया है, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है तो वह प्रत्येक दिन के लिए, जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है, पांच सौ रुपए की शास्ति का दायी होगा, जो उक्त संघ राज्यक्षेत्रको देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी ।

30. सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि—(1) इस अधिनियम के उपबंधों और विधान सभा की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, विधान सभा में वाक्-स्वातंत्र्य होगा ।

(2) विधान सभा या उसकी किसी समिति में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी विधान सभा के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।

(3) अन्य बातों में विधान सभा और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जिनका उपयोग लोक सभा और उसके सदस्यों तथा समितियों द्वारा तत्समय किया जा रहा है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(4) जिन व्यक्तियों को इस अधिनियम के आधार पर विधान सभा या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे उस विधान सभा के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ।

31. सदस्यों के वेतन और भत्ते—विधान सभा के सदस्य, ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें विधान सभा, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है, तब तक ऐसे वेतन और भत्ते, जो उपराज्यपाल आदेश द्वारा अवधारित करे, प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

32. विधायी शक्ति का विस्तार—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधान सभा, संपूर्ण जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया उसके किसी भाग के लिए, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में, राज्य सूची में क्रमश: प्रविष्टि 1 और प्रविष्टि 2 पर उल्लिखित विषयों, अर्थात् "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" के सिवाय या समवर्ती सूची में प्रगणित विषयों में से किसी विषय के संबंध में, जहां तक ऐसा कोई विषय संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में लागू होता है, विधि बना सकेगी ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, संविधान द्वारा संसद् को प्रदत्त जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया उसके किसी भाग के लिए, किसी विषय के संबंध में, विधि बनाने की शक्ति को अल्पीकृत नहीं करेगी ।

33. संघ की संपत्ति को करों से छूटवहां तक के सिवाय, जहां तक संसद्, विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन अधिरोपित सभी करों से संघ की संपत्ति को छूट होगी :

परंतु इस धारा की कोई बात जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके भीतर किसी प्राधिकारी को संघ की किसी संपत्ति पर कोई ऐसा कर, जिसका दायित्व संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले ऐसी संपत्ति पर था या माना जाता था, उद्गृहीत करने से तब तक नहीं रोकेगी, जब तक वह कर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें उद्गृहीत होता रहता है ।

34. कतिपय विषयों की बाबत विधान सभा द्वारा पारित विधियों पर निर्बंधन—(1) अनुच्छेद 286, अनुच्छेद 287 और अनुच्छेद 288 के उपबंध विधान सभा द्वारा उन अनुच्छेदों में, निर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा उन विषयों की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में लागू होते हैं ।

(2) अनुच्छेद 304 के उपबंध, आवश्यक उपांतरणों सहित, विधान सभा द्वारा उस अनुच्छेद में निर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा उन विषयों की बाबत पारित किसी विधि के संबंध में लागू होते हैं ।

35. संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और विधान सभा द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति—(1) यदि विधान सभा द्वारा, संविधान की सातवीं अनुसूची में, राज्य सूची में प्रगणित विषयों के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध संसद् द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई किसी विधि के किसी उपबंध के, चाहे वह विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि से पहले या उसके पश्चात् पारित की गई है, विरुद्ध है या यदि विधान सभा द्वारा, संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में बनाई गई विधि का कोई उपबंध किसी उपबंध के विधान सभा द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई किसी विधि से भिन्न किसी पूर्ववर्ती विधि के किसी उपबंध से भिन्न है, तो प्रत्येक दशा में, यथास्थिति, संसद् द्वारा बनाई गई विधि या ऐसी पहले बनाई गई विधि अभिभावी होगी और संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगी :

परंतु यदि विधान सभा द्वारा बनाई गई ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा गया है और उस पर उसकी अनुमति मिल गई है तो वह विधि जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें अभिभावी होगी :

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात संसद् को उसी विषय के संबंध में कोई विधि, जिसके अंतर्गत ऐसी विधि है, जो राज्य की विधान सभा द्वारा इस प्रकार बनाई गई विधि का परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तन या निरसन करती है, किसी भी समय अधिनियमित करने से निवारित नहीं करेगी ।

36. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध—(1) कोई विधेयक या संशोधन उपराज्यपाल की सिफारिश से ही विधान सभा में पुर:स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा यदि ऐसा विधेयक या संशोधन निम्नलिखित विषयों में से किसी की बाबत उपबंध करता है, अर्थात् :—

(क) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन ;

(ख) संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन ;

(ग) संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से धन का विनियोग ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(घ) किसी व्यय को संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना या ऐसे किसी व्यय की रकम को बढ़ाना ;

(ङ) संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि या संघ राज्यक्षेत्रके लोक लेखा मद्दे धन की प्राप्ति अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या उसका निकाला जाना या संघ राज्यक्षेत्रके लेखाओं की संपरीक्षा :

परंतु किसी कर के घटाने या उत्सादन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस उपधारा के अधीन सिफारिश की अपेक्षा नहीं होगी ।

(2) कोई विधेयक या संशोधन पूर्वोक्त विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला केवल इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह जुर्मानों या अन्य धनीय शास्तियों के अधिरोपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उसके संदाय का उपबंध करता है अथवा इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन का उपबंध करता है ।

(3) जिस विधेयक को अधिनियमित और प्रवर्तित किए जाने पर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से व्यय करना पड़ेगा, वह विधेयक संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा द्वारा तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए उस सभा से उपराज्यपाल ने सिफारिश नहीं की है ।

37. विधेयकों के व्यपगत होने के संबंध में प्रक्रिया—(1) विधान सभा में लंबित विधेयक विधान सभा के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा ।

(2) ऐसा विधेयक जो विधान सभा में लंबित है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा ।

38 विधेयकों पर अनुमति—जब कोई विधेयक विधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया है तब वह उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उपराज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है :

परंतु उपराज्यपाल अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है तो, विधान सभा को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि विधान सभा विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें और विशिष्टतया किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करें, जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब विधान सभा विधेयक पर तद्नुसार पुनर्विचार करेगी और यदि विधेयक संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और उपराज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उपराज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है :

परंतु यह और कि उपराज्यपाल उस विधयेक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा,—

(क) जिस विधेयक से, उसके विधि बन जाने पर, उपराज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का ऐसा अल्पीकरण होगा कि वह स्थान, जिसकी पूर्ति के लिए वह न्यायालय इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, संकटापन्न हो जाएगा ; या

(ख) जो विधेयक अनुच्छेद 31क के खंड (1) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय से संबंधित है ; या

(ग) जो विधेयक राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अपने विचार के लिए आरक्षित रखने का निदेश दे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा और धारा 39 के प्रयोजनों के लिए, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा, यदि उसमें केवल धारा 36 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं विषयों से या उन विषयों में से किसी के आनुषंगिक किसी विषय से संबंधित उपबंध है और दोनों दशाओं में से किसी में, विधान सभा के अध्यक्ष का यह प्रमाणपत्र कि वह धन विधेयक है उस पर पृष्ठांकित है, और उसके द्वारा हस्ताक्षरित है ।

39. विचार के लिए आरक्षित विधेयक—जब कोई विधेयक उपराज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख लिया जाता है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

परंतु जहां विधेयक धन विधेयक नहीं है, वहां राष्ट्रपति उपराज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधेयक को विधान सभा को ऐसे संदेश के साथ, जो धारा 38 के पहले परंतुक में वर्णित है, लौटा दे और जब कोई विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर विधान सभा द्वारा उस पर तदनुसार पुनर्विचार किया जाएगा और यदि वह उस सभा द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

40. मंजूरी और सिफारिशों के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना—विधान सभा का कोई अधिनियम और किसी ऐसे अधिनियम का कोई उपबंध, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई पूर्व मंजूरी नहीं दी गई थी या सिफारिश नहीं की गई थी, यदि उस अधिनियम को उपराज्यपाल द्वारा, या, राष्ट्रपति के विचार के लिए उपराज्यपाल द्वारा आरक्षित रख लिए जाने पर, राष्ट्रपति द्वारा, अनुमति दे दी गई थी ।

41. वार्षिक वित्तीय विवरण—(1) उपराज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के समक्ष, उस वर्ष के लिए संघ राज्यक्षेत्रकी प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है ।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में,—

(क) इस अधिनियम में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां ; और

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां,

पृथक्-पृथक् दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे से होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा ।

(3) निम्नलिखित व्यय जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात् :—

(क) उपराज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय ;

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको भारत की संचित निधि में से दिए गए उधारों की बाबत संदेय-भार, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि-भार और मोचन-भार तथा उससे संबंधित अन्य व्यय भी हैं ;

(ग) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते ;

(घ) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय ;

(ङ) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित कोई राशियां ;

(च) उपराज्यपाल द्वारा उसके विशेष दायित्व के निर्वहन में उपगत व्यय ;

(छ) कोई अन्य व्यय, जो संविधान द्वारा या संसद् द्वाराया जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए ।

42. विधान सभा में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया— (1) प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं, वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किंतु इस उपधारा की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह विधान सभा में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है ।

(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं, वे विधान सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनुमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनुमति दे ।

(3) किसी अनुदान की मांग उपराज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।

43. विनियोग विधेयक—(1) विधान सभा द्वारा धारा4 2 के अधीन अनुदान किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से—

(क) विधान सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, और

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित, किंतु विधान सभा के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दर्शित रकम से किसी भी दशा में अनधिक व्यय की,

पूर्ति के लिए अपेक्षित सभी धनराशियों के विनियोग का उपबंध करने के लिए विधेयक पुर:स्थापित किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार किए गए किसी अनुदान की रकम में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित व्यय की रकम में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, ऐसे किसी विधेयक में विधान सभा में प्रस्थापित नहीं किया जाएगा और पीठासीन व्यक्ति का इस बारे में विनिश्चय अंतिम होगा कि कोई संशोधन इस उपधारा के अधीन अग्राह्य है या नहीं ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से इस धारा के उपबंधों के अनुसार पारित विधि द्वारा किए गए विनियोग के अधीन ही कोई धन निकाला जाएगा, अन्यथा नहीं ।

44. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान—(1) यदि—

(क) धारा 43 के उपबंधों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा किसी विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई रकम उस वर्ष के प्रयोजनों के लिए अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अनुध्यात न की गई कोई किसी नई सेवा पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आवश्यकता पैदा हो गई है, या

(ख) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष और उस सेवा के लिए अनुदान की गई रकम से अधिक कोई धन व्यय हो गया है,

तो उपराज्यपाल, यथास्थिति, विधान सभा के समक्ष उस व्यय की प्राक्कलित रकम को दर्शित करने वाला दूसरा विवरण रखवाएगा या ऐसे पूर्व अनुमोदन से विधान सभा में ऐसे आधिक्य के लिए मांग प्रस्तुत करवाएगा ।

(2) ऐसे किसी विवरण और व्यय या मांग के संबंध में तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसे व्यय या ऐसी मांग से संबंधित अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में भी, धारा 41, धारा 42 और धारा 43 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण और उसमें वर्णित व्यय के संबंध में या किसी अनुदान की किसी मांग के संबंध में और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसे व्यय या अनुदान की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं ।

45. लेखानुदान—(1) इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, विधान सभा को किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राक्कलित व्यय के संबंध में कोई अनुदान, उस अनुदान के लिए मतदान करने के लिए धारा 42 में विहित प्रक्रिया के पूरा होने तक और उस व्यय के संबंध में धारा4 3 के उपबंधों के अनुसार विधि के पारित होने तक, अग्रिम देने की, शक्ति होगी और जिन प्रयोजनों के लिए उक्त अनुदान किए गए हैं उनके लिए जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से धन निकालना विधि द्वारा प्राधिकृत करने की विधान सभा को शक्ति होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किए जाने वाले किसी अनुदान या उस उपधारा के अधीन बनाई जाने वाली किसी विधि के संबंध में धारा4 2 और धारा4 3 के उपबंध वैसे ही प्रभावी होंगे, जैसे वे वार्षिक वित्तीय विवरण में वर्णित किसी व्यय के बारे में कोई अनुदान करने के संबंध में और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए धन का विनियोग प्राधिकृत करने के लिए बनाई जाने वाली विधि के संबंध में प्रभावी हैं ।

46. प्रक्रिया के नियम—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विधान सभा अपनी प्रक्रिया तथा अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी :

परन्तु उपराज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्,—

(क) वित्तीय कार्य को समय के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए ;

(ख) किसी वित्तीय विषय से या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से धन का विनियोग करने वाले किसी विधेयक से संबंधित विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन का विनियमन करने के लिए ;

(ग) जहां तक इस अधिनियम द्वारा उपराज्यपाल से स्वविवेकानुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां तक उसके कृत्यों के निर्वहन पर प्रभाव डालने वाली किसी बात पर विचार-विमर्श करने का या प्रश्न पूछने का प्रतिषेध करने के लिए,

नियम बना सकेगा ।

(2) जब तक उपधारा (1) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के संबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पहले, विद्यमान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के संबंध में जो प्रक्रिया के नियम और स्थायी आदेश प्रवृत्त थे, वे ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा किए जाएं, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के संबंध में प्रभावी होंगे ।

47. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी राजभाषा या राजभाषाएं तथा उसकी विधान सभा में प्रयोग होने वाली भाषा या भाषाएं—(1) विधान सभा, विधि द्वारा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली राजभाषा या राजभाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(2) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में कार्य जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी राजभाषा या राजभाषाओं में या हिन्दी में या अंग्रेजी में किया जाएगा :

48. अधिनियमों, विधेयकों, आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा—धारा 47 में किसी बात के होते हुए, जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, तब तक जो—

(क) विधान सभा में पुर:स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके सभी संशोधनों के ;

(ख) विधान सभा द्वारा पारित सभी अधिनियमों के ; और

(ग) विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के,

प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे :

परन्तु जहां विधान सभा ने उस विधान सभा में पुर:स्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां राजपत्र में उपराज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

49. विधान सभा में चर्चा पर निर्बन्धन—उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में विधान सभा में कोई चर्चा नहीं होगी ।

50. न्यायालय द्वारा विधान सभा की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना—(1) विधान सभा की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(2) विधान सभा का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उस विधान सभा में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा ।

51. विधान सभा का सचिवालय—(1) विधान सभा का एक पृथक् सचिवीय कर्मचारिवृन्द होगा ।

(2) विधान सभा, विधि द्वारा, विधान सभा के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती का और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों का विनियमन कर सकेगी ।

(3) जब तक विधान सभा उपधारा (2) के अधीन उपबंध नहीं करती है, तब तक उपराज्यपाल, विधान सभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् विधान सभा के सचिवीय कर्मचारिवृंद में भर्ती के और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाया गया कोई नियम, उक्त उपधारा के अधीन बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा ।

52. विधान सभा के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की उपराज्यपाल की शक्ति—(1) उस समय को छोड़कर, जब विधान सभा सत्र में है, यदि किसी समय उपराज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है तो वह ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा, जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन अध्यादेश बनाने की शक्ति केवल ऐसे विषयों तक विस्तारित होगी, जिनके संबंध में विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है ।

(2) इस धारा के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा, जो विधान सभा के ऐसे अधिनियम का होता है, जिसे उपराज्यपाल ने अनुमति दे दी है, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश—

(क) विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा तथा विधान सभा के पुन: समवेत होने से छह सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति के पहले या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले विधान सभा उसके अननुमोदन का संकल्प पारित कर देती है, तो प्रवर्तन में नहीं रहेगा ; और

(ख) उपराज्यपाल द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए मंत्रिपरिषद्

53. मंत्रिपरिषद्—(1) जिन बातों में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह किन्हीं न्यायिक या न्यायिककल्प कृत्यों को अपने विवेकानुसार या किसी विधि द्वारा या उसके अधीन करे, उन बातों को छोड़कर, उपराज्यपाल की उन विषयों के संबंध में, जिनके संबंध में विधान सभा को विधि बनाने की शक्ति है, अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी, जो विधान सभा की कुल सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा ।

(2) उपराज्यपाल, किसी ऐसे मामले में अपने कृत्यों का प्रयोग करने में स्वविवेकानुसार कार्य करेगा—

(i) जो विधान सभा को प्रदत्त शक्तियों के कार्यक्षेत्र के बाहर आता है ; या

(ii) जिसमें किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे या किन्हीं न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करे ;

(iii) जो अखिल भारतीय सेवाओं और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो से संबंधित है :

परंतु यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत होता है कि कोई विषय ऐसा है या नहीं, जिसके संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपराज्यपाल से यह अपेक्षित है कि वह अपने विवेकानुसार कार्य करे तो उपराज्यपाल का उसके विवेकानुसार विनिश्चय अंतिम होगा और उपराज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि उसे अपने विवेकानुसार कार्य करना चाहिए था या नहीं ।

(3) इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने उपराज्यपाल को कोई सलाह दी, और यदि दी तो क्या दी ।

54. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध—(1) मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा ।

(2) मंत्री, उपराज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद धारण करेंगे ।

(3) मंत्रिपरिषद् विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी ।

(4) किसी मंत्री द्वारा अपना पदग्रहण करने से पहले, उपराज्यपाल, इस अधिनियम की चौथी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा ।

(5) कोई मंत्री, जो निरंतर छह मास की किसी अवधि तक विधान सभा का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा ।

(6) मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो विधान सभा, विधि द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे और जब तक वह विधान सभा इस प्रकार अवधारित नहीं करती है, तब तक ऐसे होंगे, जो उपराज्यपाल द्वारा अवधारित किए जाएं ।

55. कार्य संचालन— (1) उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद् की सलाह पर,—

(क) मंत्रियों में कार्य के आबंटन के लिए ; और

(ख) मंत्रियों के साथ कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए, जिसमें उपराज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद् या किसी मंत्री के बीच मतभेद के मामले में अंगीकृत की जाने वाली प्रक्रिया भी है,

नियम बनाएगा ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपराज्यपाल की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई, चाहे अपने मंत्रियों की सलाह पर या अन्यथा की गई हो, उपराज्यपाल के नाम से की हुई कही जाएगी ।

(3) उपराज्यपाल के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो उपराज्यपाल द्वारा, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, बनाए जाने वाले नियमों में विनिर्दिष्ट की जाए और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखत की विधिमान्यता इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह उपराज्यपाल द्वारा किया गया या निष्पादित आदेश या लिखत नहीं है ।

56. उपराज्यपाल को जानकारी देने, आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य—मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद् के सभी विनिश्चय उपराज्यपाल को संसूचित करे ;

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी जो जानकारी उपराज्यपाल मांगे, वह दे ।

विधान परिषद्

57. जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान परिषद् का उत्सादन—(1) किसी विधि, दस्तावेज, निर्णय, अध्यादेश, नियम, विनियम या अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, नियत दिन से ही विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की विधान परिषद् का उत्सादन हो जाएगा ।

(2) विधान परिषद् के उत्सादन पर, उसका प्रत्येक सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में नहीं रहेगा ।

(3) नियत दिन से ठीक पूर्व विधान परिषद् में लंबित सभी विधेयक परिषद् के उत्सादन पर व्यपगत हो जाएंगे ।

भाग 4

लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रका प्रशासन

58. लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल की नियुक्ति—(1) लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रका प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, और वह अपने द्वारा अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किए गए उपराज्यपाल के माध्यम से उस विस्तार तक कार्य करेगा, जो वह ठीक समझे ।

(2) राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रकी शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा ।

(3) इस प्रकार बनाया गया कोई विनियम, संसद् द्वारा बनाए गए किसी अधिनियम या किसी अन्य विधि का, जो लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको तत्समय लागू है, निरसन या संशोधन कर सकेगा और राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किए जाने पर उसका वही बल और प्रभाव होगा जो संसद् के किसी ऐसे अधिनियम का है, जो लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको लागू होता है ।

(4) उपराज्यपाल की सहायता, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार(रों) द्वारा की जाएगी ।

भाग 5

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

59. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "सहयुक्त सदस्य" से धारा 60 के अधीन परिसीमन आयोग से सहयुक्त कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ख) "परिसीमन आयोग" से परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 3 के अधीन और उसके पश्चात् संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा गठित परिसीमन आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "निर्वाचन आयोग" से भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(घ) "नवीनतम जनगणना आंकड़े" से ऐसे नवीनतम जनगणना के अभिनिश्चित जनगणना संबंधी आंकड़े अभिप्रेत हैं, जिसके अंतिम रूप से प्रकाशित आंकड़े उपलब्ध हैं ;

(ङ) "संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र" से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रसे लोक सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विधि द्वारा उपबंधित कोई निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(च) "सभा निर्वाचन-क्षेत्र" से विधान सभा के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विधि द्वारा उपबंधित कोई निर्वाचन-क्षेत्र अभिप्रेत है ।

60. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन—(1) इस अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा में स्थानों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 कर दी जाएगी और निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, निर्वाचन आयोग द्वारा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से अवधारित किया जाएगा—

(क) संविधान के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, विधान सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या ;

(ख) उन सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, जिनमें संघ राज्यक्षेत्रको विभाजित किया जाएगा, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक का विस्तार और उनमें से प्रत्येक में वे स्थान, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे ; और

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ग) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्रमें संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन और उनके विस्तार का वर्णन, जो आवश्यक या समीचीन हो ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट विषयों का अवधारण करते समय, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र एक सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे ;

(ख) सभी निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहृत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करते समय उनकी भौतिक विशिष्टताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधाओं का ध्यान रखना होगा ; और

(ग) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे, जिनमें कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक हो ।

(3) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए सहयुक्त सदस्यों के रूप में ऐसे चार व्यक्तियों को अपने साथ सहयुक्त करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, और वे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के चार सदस्य हों :

परंतु सहयुक्त सदस्यों में से किसी को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(4) यदि किसी सहयुक्त सदस्य का पद, मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो वह, जहां तक साध्य हो, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।

(5) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, जो उनका प्रकाशन चाहता है, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जिसे आयोग ठीक समझे, प्रकाशित करेगा और साथ ही एक सूचना भी प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट हो जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्राप्त हुए हों ; और

(ग) उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पहले प्राप्त सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(6) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

61. परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति—(1) निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) धारा 60 के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी मुद्रण संबंधी भूल को उसमें अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा ;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या किन्हीं आदेशों में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन हो जाए, वहां ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो उसे ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संबंधित राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

62. 2011 की जनगणना के आधार पर संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के पुन:समायोजन के बारे में विशेष उपबंध—(1) नियत दिन से ही, परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उपधारा (1) का अधीन आदेशों का प्रकाशन होने पर भी या उक्त धारा की उपधारा (2) या उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिसीमन अधिनियम, 2002 को नीचे यथा उपबंधित रीति में संशोधित किया गया समझा जाएगा :—

(क) धारा 2 के खंड (च) में, "किन्तु इसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है" शब्दों का लोप किया जाएगा ; और

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(ख) सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के प्रयोजन के लिए, "वर्ष 2001 में हुई जनगणना" शब्दों और अंकों का, जहां कहीं वे आते हैं, "वर्ष 2011 में हुई जनगणना" शब्द और अंक के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

(2) उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें, धारा 60 के अधीन यथा उपबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों का सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में पुन: समायोजन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा और उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(3) उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें, धारा 11 के अधीन यथा उपबंधित निर्वाचन-क्षेत्रों का संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में पुन: समायोजन, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन गठित परिसीमन आयोग द्वारा किया जाएगा और उस तारीख से प्रभावी होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, प्रकाशित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

63. सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के पुन: समायोजन के बारे में विशेष उपबंध—धारा 59 से धारा 61 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक वर्ष 2026 के पश्चात् पहली जनगणना के लिए प्राप्त किए गए सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं कर दिए जाते हैं, तब तक उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका सभा और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का पुन: समायोजन आवश्यक नहीं होगा और इस भाग में "अंतिम जनगणना के आंकड़ों" के प्रति किसी निर्देश का अर्थ 2011 की जनगणना के आंकड़ों के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा ।

64. परिसीमन के बारे में प्रक्रिया—इस भाग के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र के परिसीमन के संबंध में संसद् द्वारा बनाई गई विधि में यथा उपबंधित प्रक्रिया वैसे ही लागू होगी जैसे वह उस विधि के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में लागू होती है ।

भाग 6

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

65. अनुसूचित जातियां आदेश का लागू होना—नियत दिन से ही, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको लागू होगा ।

66. अनुसूचित जनजातियां आदेश का लागू होना—नियत दिन से ही, संविधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1989, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको लागू होगा ।

भाग 7

प्रकीर्ण तथा संक्रमणकालीन उपबंध

67. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि—(1) नियत दिन से ही, किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसकी बाबत जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा को विधियां बनाने की शक्ति है, भारत सरकार को या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें प्राप्त सभी राजस्व तथा भारत की संचित निधि में से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको दिए गए सभी अनुदान तथा सभी उधार और भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल द्वारा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि की प्रतिभूति पर लिए गए सभी उधार तथा उधारों के प्रतिसंदाय में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको प्राप्त सभी धनराशियों की एक संचित निधि बनेगी जो "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि" के नाम से ज्ञात होगी ।

(2) ऐसी संचित निधि में से कोई धनराशियां इस अधिनियम के अनुसार और उसमें उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं ।

(3) ऐसी संचित निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधि में से धनराशियों के संदाय, उससे धनराशियों के निकाले जाने का तथा उन विषयों से संबंधित या उनके आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन, उपराज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा ।

68. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका लोक लेखा और उसमें जमा किया गया धन—(1) नियत दिन से ही, उपराज्यपाल द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त किए गए अन्य सभी लोक धन "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका लोक लेखा" नाम से ज्ञात लोक लेखा में जमा किए जाएंगे ।

(2) उपराज्यपाल द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धन की, जो संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि या जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि में जमा किए गए धन से भिन्न है, अभिरक्षा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लोक लेखा में उनका संदाय और ऐसे लेखा से धन का निकाला जाना और पूर्वोक्त विषयों से संसक्त या सहायक अन्य सभी विषय, मंत्रिपरिषद् की सलाह पर उपराज्यपाल द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित किए जाएंगे ।

69. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि—(1) अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिकता निधि स्थापित की जाएगी, जो "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि" के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

ऐसी राशियां जमा की जाएंगी जो, समय-समय पर, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अवधारित की जाएं और ऐसी निधि में से अग्रिम धन देने के लिए उपराज्यपाल को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि उपराज्यपाल द्वारा धारित की जाएगी ।

(2) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि में से कोई अग्रिम धन किसी अनवेक्षित व्यय का विधि द्वारा किए गए विनियोजनों के अधीन विधान सभा द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसे व्यय की पूर्ति के प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।

(3) उपराज्यपाल, मंत्रिपरिषद् की सलाह पर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, उसमें धनराशियों के संदाय तथा उससे धनराशियों के निकाले जाने से संबंधित या उसके आनुषंगिक सभी विषयों का विनियमन करने के लिए नियम बना सकेगा ।

70. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि की प्रतिभूति पर उधार लेना—(1) संघ राज्यक्षेत्रकी कार्यपालिका शक्ति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि की प्रतिभूति पर ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जो विधान सभा, विधि द्वारा, समय-समय पर, नियत करे, उधार लेने और ऐसी सीमाओं के भीतर, यदि कोई हों, जो इस प्रकार नियत की जाएं, प्रत्याभूति देने तक विस्तारित है ।

(2) प्रत्याभूति देने के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित कोई रकम जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि पर भारित होगी ।

71. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लेखाओं का प्ररूप—जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लेखाओं को ऐसे प्ररूप में रखा जाएगा, जो उपराज्यपाल, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह अभिप्राप्त करने के पश्चात्, नियमों द्वारा, विहित करे ।

72. संपरीक्षा प्रतिवेदन—भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की धारा 67 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख की पश्चातवर्ती किसी अवधि के लिए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको विधान सभा के समक्ष रखवाएगा ।

73. सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध—यदि राष्ट्रपति का, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा, यह समाधान हो जाता है कि,—

(क) ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका प्रशासन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है ; या

(ख) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है,

तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन को, ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगा, तथा ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके प्रशासन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

74. राष्ट्रपति द्वारा व्यय का प्राधिकृत किया जाना—जहां धारा 73 के अधीन किसी आदेश के कारण विधान सभा विघटित कर दी गई है या ऐसी विधान सभा के रूप में उसके कृत्य निलंबित कर दिए गए हैं, वहां, जब लोक सभा सत्र में नहीं है, तब जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से व्यय के लिए संसद् की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति की क्षमता होगी ।

भाग 8

उच्च न्यायालय

75. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का सामान्य उच्च न्यायालय होना—(1) नियत दिन से ही,—

(क) जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके लिए, सामान्य उच्च न्यायालय होगा ;

(ख) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए, जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पद धारण कर रहे हैं, उसी दिन से सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे ।

(2) सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बाबत व्यय का आबंटन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाएगा ।

76. विधिज्ञ परिषद् और अधिवक्ताओं के संबंध में विशेष उपबंध—(1) धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख से ही, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (1) में,—

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर" शब्दों को हटाया जाएगा ;

(ख) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(छ) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके लिए, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विधिज्ञ परिषद् के नाम से ज्ञात एक विधिज्ञ परिषद् होगी ।"।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता है और जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा है, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की विधिज्ञ परिषद् का सदस्य बना रह सकेगा ।

(3) ऐसे अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को, जो धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व हकदार हैं, उस तारीख को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में भी विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(4) जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ऐसे सिद्धांतों के अनुसार विनियमित होगा, जो धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार की बाबत प्रवृत्त है ।

77. जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया—जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आवश्यक उपांतरणों सहित, जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी और तदनुसार जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय को पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियम बनाने और आदेश करने की ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस तारीख के ठीक पूर्व जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य हैं :

परंतु ऐसे कोई नियम या आदेश, जो जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, जब तक जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों द्वारा परिवर्तित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिए जाते, जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत आवश्यक उपांतरणों सहित इस प्रकार लागू होंगे, मानो वे उस न्यायालय द्वारा बनाए गए हों या किए गए हों ।

78. व्यावृत्तियां—इस भाग की कोई बात संविधान के किन्हीं उपबंधों के जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय को लागू होने पर प्रभाव नहीं डालेगी और इस भाग का प्रभाव किसी ऐसे उपबंध के अधीन रहते हुए होगा, जो धारा 75 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय की बाबत किसी विधान-मंडल या ऐसा उपबंध करने की शक्ति रखने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाए ।

भाग 9

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका महाधिवक्ता

79. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका महाधिवक्ता—(1) उपराज्यपाल, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका महाधिवक्ता नियुक्त करेगा ।

(2) महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो उक्त सरकार उसको समय-समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हों ।

(3) महाधिवक्ता को, अपने कर्तव्यों के पालन में जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रमें के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा ।

(4) महाधिवक्ता, उपराज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा, जो उपराज्यपाल अवधारित करे ।

भाग 10

व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

80. जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके व्यय को प्राधिकृत किया जाना—विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यपाल, नियत दिन के पूर्व किसी भी समय, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसा व्यय प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

विधान सभा द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी के लंबित रहने तक, नियत दिन से आरंभ होने वाली छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए आवश्यक समझे :

परंतु जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल, नियत दिन के पश्चात् जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय, ऐसी किसी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि के परे की नहीं होगी, जो वह आवश्यक समझे, प्राधिकृत कर सकेगा ।

81. लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके व्यय को प्राधिकृत किया जाना—विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का राज्यपाल, नियत दिन के पूर्व किसी भी समय, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी संचित निधि में से ऐसा व्यय प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह संसद् द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी के लंबित रहने तक, नियत दिन से आरंभ होने वाली छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए आवश्यक समझे :

परंतु राष्ट्रपति, नियत दिन के पश्चात्, भारत की संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय, ऐसी किसी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि के परे की नहीं होगी, जो वह आवश्यक समझे, प्राधिकृत कर सकेगा ।

82. जम्मू-कश्मीर राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें—(1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत अनुच्छेद 151 के खंड (2) में निर्दिष्ट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टों को उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(2) तत्पश्चात् जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल, रिपोर्टों को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

(3) जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल, आदेश द्वारा,—

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत या किसी पूर्वतर वित्तीय वर्ष की बाबत किसी सेवा पर जम्मू-कश्मीर की संचित निधि में से उपगत ऐसे किसी व्यय को, जो उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकम के, जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टों में प्रकट किया गया हो, आधिक्य में हो, सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया घोषित कर सकेगा ; और

(ख) उक्त रिपोर्टों से उद्भूत किसी विषय पर की जाने वाली किसी कार्रवाई का उपबंध कर सकेगा ।

83. राजस्व का वितरण—(1) चौदहवें वित्त आयोग द्वारा विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य को दिए गए राजस्व को केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके बीच जनसंख्या अनुपात तथा अन्य सन्नियमों के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा :

परंतु नियत दिन को, राष्ट्रपति, संघ राज्यक्षेत्रवित्त आयोग को उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखने के लिए और उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके लिए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय करने के लिए निर्देश करेगा :

परंतु यह और कि नियत दिन को, राष्ट्रपति, पन्द्रहवें वित्त आयोग को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रको उसके निदेश निबंधनों में सम्मिलित करने के लिए और उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लिए अधिनिर्णय करने के लिए निर्देश करेगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार, उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समुचित अनुदान कर सकेगी और यह भी सुनिश्चित कर सकेगी कि उस परिक्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेज के रूप में पर्याप्त फायदे और प्रोत्साहन दिए जाएं ।

भाग 11

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

84. इस भाग का लागू होना—(1) इस भाग के उपबंध विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की नियत दिन के ठीक पूर्व की आस्तियों और दायित्वों के, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर उत्तरवर्ती लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके बीच प्रभाजन के संबंध में लागू होंगे ।

(2) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के अध्यधीन होगा ।

(3) प्रभाजन की प्रक्रिया नियत दिन से बारह मास की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 12

कतिपय निगमों और किन्हीं अन्य विषयों के बारे में उपबंध

85. सलाहकार समिति(यां)—(1) केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा, नियत दिन से नब्बे दिन की अवधि के भीतर, निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए, एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी :

(क) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों और निगमों की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके मध्य प्रभाजन ;

(ख) विद्युत शक्ति उत्पादन और आपूर्ति तथा जलापूर्ति से संबंधित व्यवस्थाओं को बनाए रखने संबंधी मुद्दे ;

(ग) जम्मू-कश्मीर राज्य वित्तीय निगम से संबंधित मुद्दे ;

(घ) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लिए गठित कंपनियों से संबंधित ब्याज और शेयरों के विभाजन और निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन संबंधी मुद्दे ;

(ङ) कतिपय राज्य संस्थाओं में की सुविधाओं से संबंधित मुद्दे ;

(च) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों से संबंधित मुद्दे, जो इस धारा के अंतर्गत नहीं आते हैं ।

(2) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार गठित समितियां, छह मास के भीतर जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जो ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ऐसी समितियों की सिफारिशों पर कार्रवाई करेगा ।

86. कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध—(1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 में किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या उस राज्य में के किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्र, यदि ऐसा अनुज्ञापत्र नियत दिन के ठीक पूर्व अंतरित राज्यक्षेत्र में के किसी क्षेत्र में विधिमान्य और प्रभावी था, तत्समय उस क्षेत्र में प्रवृत्त उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस क्षेत्र में उस दिन के पश्चात् और उसकी विधिमान्यता की अवधि तक विधिमान्य और प्रभावी बना रहा समझा जाएगा और ऐसे किसी अनुज्ञापत्र को उस क्षेत्र में उपयोग के लिए उसे विधिमान्य करने के प्रयोजन के लिए किसी संघ राज्यक्षेत्रके परिवहन प्राधिकारी या उसमें किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु उपराज्यपाल, उन शर्तों में, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसके द्वारा अनुज्ञापत्र प्रदान किया गया था, अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न की गई हों, परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगा ।

(2) किसी ऐसे अनुज्ञापत्र के अधीन उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों में से किसी में किसी परिवहन यान को चलाने के लिए नियत दिन के पश्चात् उस परिवहन यान की बाबत कोई पथकर, प्रवेश फीस या वैसी ही प्रकृति के अन्य प्रभार उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे यदि ऐसे यान को उस दिन के ठीक पूर्व अन्तरित राज्यक्षेत्र में चलाने के लिए ऐसे किसी पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के संदाय से छूट प्राप्त हो :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसे पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के उद्ग्रहण को, यथास्थिति, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके प्रशासन से परामर्श करने के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे, जहां ऐसे पथकर, प्रवेश फीस या इसी प्रकार के अन्य प्रभार ऐसी किसी सड़क या पुल के उपयोग के लिए उद्ग्रहणीय हैं, जिसका सन्निर्माण या विकास वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा, ऐसे संयुक्त उपक्रम द्वारा जिसमें राज्य सरकार एक शेयरधारक है या प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया गया है ।

87. आय-कर के बारे में विशेष उपबंध—जहां इस भाग के उपबंधों के अधीन कारबार चलाने वाले किसी निगमित निकाय की आस्तियां, अधिकार और दायित्व ऐसे किन्हीं अन्य निगमित निकायों को अन्तरित किए जाते हैं, जो अन्तरण के पश्चात् वही कारबार चलाते हों, वहां प्रथम वर्णित निगमित निकाय को हुई हानियां या लाभ या अभिलाभ, जिनका ऐसा अन्तरण न होने पर, आय-कर अधिनियम, 19601 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत या मुजरा किया जाना अनुज्ञात कर दिया गया होता, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार अंतरिती, निगमित निकायों के बीच प्रभाजित किए जाएंगे और ऐसे प्रभाजन पर, प्रत्येक अंतरिती निगमित निकाय को आबंटित हानि के अंश के संबंध में कार्यवाही उक्त अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार की जाएगी मानो वे हानियां स्वयं अंतरिती निगमित निकाय को उसके द्वारा चलाए गए किसी कारबार में उन वर्षों में हुई हों जिनमें वे हानियां हुई थीं ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

भाग 13

सेवाओं के बारे में उपबंध

88. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध—(1) इस धारा में "राज्य काडर" पद का—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में वही अर्थ है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है ;

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में वही अर्थ है, जो भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है ; और

(ग) भारतीय वन सेवा के संबंध में वही अर्थ है, जो भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में उसका है ।

[1][(2) जम्मू-कश्मीर के विद्यमान कांडर के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के सदस्य, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर के हों और उनका भाग बन जाएंगे तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र के लिए आखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के सभी भावी आबंटन अरुणाचल प्रदेश, गोवा मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर से किए जाएंगे, जिसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्स्थानी काडर आबंटन नियमों में आवश्यक उपान्तरण किए जा सकेंगे ।

(3) ऐसे अधिकारी, जो इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश, गोवा मिजोरम और संघ राज्यक्षेत्र काडर के हैं या आबंटित हैं केन्द्रीय सरकार द्वारा विरचित नियमों के अनुसार कार्य करेंगे ।]

89. अन्य सेवाओं से संबंधित उपबंध—(1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी आधार पर सेवा कर रहा हो, उस दिन से ही जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल के साधारण या विशेष आदेश द्वारा, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलापों के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करता रहेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी प्रत्येक निदेश उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों की, यथास्थिति, सरकार या प्रशासन के परामर्श से जारी किया जाएगा ।

(2) जम्मू-कश्मीर का उपराज्यपाल, नियत दिन के पश्चात्, यथाशक्यशीघ्र, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उस उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रका, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, सेवा के लिए, कर्मचारियों से विकल्प की ईप्सा करने पर प्राप्त विकल्प पर विचार करने के पश्चात्, अंतिम रूप से आबंटित किया जाएगा और उस तारीख का, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा, अवधारण करेगा :

परन्तु ऐसा आबंटन किए जाने के पश्चात् भी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल, सेवा में किसी कमी को पूरा करने के लिए, अधिकारियों को एक उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रसे दूसरे संघ राज्यक्षेत्रमें प्रतिनियुक्त कर सकेगा :

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे किसी उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रको उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन अंतिम रूप से आबंटित किया जाता है, यदि वह उसमें पहले से सेवा नहीं कर रहा है तो उस उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रमें, ऐसी तारीख से, जो, उत्तरवर्ती जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके प्रशासन के बीच करार पाई जाए या ऐसे करार के अभाव में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, सेवा करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार को इस धारा के अधीन जारी किए गए अपने आदेशों में से किसी का भी पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

90. सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंध—(1) इस धारा या धारा 89 की कोई बात, नियत दिन को या उसके पश्चात् संघ या किसी संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहे व्यक्तियों की सेवा शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जिसे धारा 89 के अधीन जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको आबंटित किया गया समझा गया है, नियत दिन के ठीक पूर्व लागू होने वाली सेवा शर्तों में उसके लिए अलाभकर परिवर्तन उपराज्यपाल के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन के पूर्व की गई सभी सेवाएं, उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए—

[1] 2021 के अधिनियम सं० 2 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) यदि उसे धारा 89 के अधीन किसी संघ राज्यक्षेत्रको आबंटित किया गया समझा जाए, तो उस संघ राज्यक्षेत्रके कार्यकलापों के संबंध में की गई सेवाएं समझी जाएंगी ;

(ख) यदि उसे उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रके प्रशासन के संबंध में संघ को आबंटित किया गया समझा जाए, तो संघ के कार्यकलापों के संबंध में की गई सेवाएं समझी जाएंगी ।

(3) धारा 89 के उपबंध किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

91. अधिकारियों के उसी पद पर बने रहने के बारे में उपबंध—ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के कार्यकलापों के संबंध में ऐसे किसी क्षेत्र में, जो उस दिन उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रमें से किसी में आता है, किसी पद या अधिकार-पद को धारण करता हो या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता हो, उस उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रमें वही पद या अधिकार-पद धारण करता रहेगा और उसी दिन से ही उस उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार द्वारा या उसमें के किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद या अधिकार-पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सक्षम प्राधिकारी को, नियत दिन से ही, ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसके ऐसे पद या अधिकार-पद पर बने रहने पर प्रभाव डालने वाला आदेश पारित करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

92. पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, आदि के कर्मचारियों के लिए उपबंध—नियत दिन से ही, राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, निगमों और अन्य स्वशासी निकायों के कर्मचारी ऐसे उपक्रम, निगम या स्वशासी निकायों में एक वर्ष की अवधि तक कार्य करते रहेंगे और इस अवधि के दौरान संबंधित निगमित निकाय उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों के बीच कार्मिकों के वितरण से संबंधित पद्धतियों का अवधारण करेगा ।

93. राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध—(1) विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य का लोक सेवा आयोग, नियत दिन से ही, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका लोक सेवा आयोग होगा ।

(2) संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति के अनुमोदन से लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा ।

(3) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति, नियत दिन से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य होगा ।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन नियत दिन को जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रलोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य हो जाए, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार से सेवा की ऐसी शर्तें पाने का हकदार होगा, जो उन शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी, जिनका वह उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन हकदार था ।

(5) जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रलोक सेवा आयोग द्वारा नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत किए गए कार्य के बारे में आयोग की रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके उपराज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी और जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रका उपराज्यपाल ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जहां तक संभव हो, उन दशाओं के संबंध में, यदि कोई हों, जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, उसके इस प्रकार स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों को स्पष्ट करने संबंधी ज्ञापन के साथ उस रिपोर्ट की प्रति जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रके विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

भाग 14

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

94. 1956 के अधिनियम 37 की धारा 15 का संशोधन—राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में, नियत दिन से ही, खंड (क) में, "जम्मू-कश्मीर" शब्दों के स्थान पर, "जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

95. विधियों का राज्यक्षेत्रीय विस्तार—इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची की सारणी 1 में की सभी केंद्रीय विधियां, उसमें यथा उपबंधित रीति से जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रऔर लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रको लागू होंगी ।

96. विधियों के अनुकूलन की शक्ति—नियत दिन के पूर्व बनाई गई, इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में यथावर्णित, किसी विधि के उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों के संबंध में लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ केंद्रीय सरकार उस दिन से एक वर्ष की समाप्ति के पूर्व आदेश द्वारा, उस विधि के ऐसे अनुकूलन तथा उपांतरण, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, जैसा आवश्यक या समीचीन हो, कर सकेगी और तब ऐसी प्रत्येक विधि, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दी जाए, तब तक इस प्रकार किए गए अनुकूलनों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

97. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति—इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 96 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किया गया कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्रके संबंध में उसके लागू होने

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ, उस विधि का अर्थान्वयन, उसके सार पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी रीति से कर सकेगा, जो उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष मामले की बाबत आवश्यक या उचित हो।

98. कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों, आदि को नामित करने की शक्ति—उपराज्यपाल, संबंधित संघ राज्यक्षेत्रके बारे में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो नियत दिन को या उसके पश्चात्, उस दिन प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे प्रयोक्तव्य कृत्यों का, जो उस अधिसूचना में वर्णित हों, प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी विधि तदनुसार प्रभावी होगी ।

99. विधिक कार्यवाहियां—जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य इस अधिनियम के अधीन उत्तरवर्ती संघ राज्यक्षेत्रों के बीच प्रभाजनाधीन किसी संपत्ति, किन्हीं अधिकारों या दायित्वों की बाबत किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का पक्षकार हो, वहां जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्रया लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर उस संपत्ति या उन अधिकारों या दायित्वों का उत्तराधिकारी होता है या उनमें कोई अंश अर्जित करता है, उन कार्यवाहियों में विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया या पक्षकार के रूप में जोड़ा गया समझा जाएगा और कार्यवाहियां तदनुसार चालू रखी जा सकेंगी ।

100. लंबित कार्यवाहियों का अंतरण—(1) नियत दिन के ठीक पूर्व, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उस दिन को जम्मू-कश्मीर राज्य के भीतर आता हो, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही, यदि वह कार्यवाही अनन्यतः उस राज्यक्षेत्र से संबंधित है जो उस दिन से किसी संघ राज्यक्षेत्रके राज्यक्षेत्र हैं, तो वह उस संघ राज्यक्षेत्रके तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी ।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही अंतरित हो जानी चाहिए तो उसे जम्मू-कश्मीर सामान्य उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस उच्च न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) इस धारा में,—

(क) "कार्यवाही" के अन्तर्गत कोई वाद, मामला या अपील है ; और

(ख) संघ राज्यक्षेत्रमें "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी" से अभिप्रेत है—

(i) वह न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जिसमें या जिसके समक्ष वह कार्यवाही होगी, यदि वह नियत दिन के पश्चात् संस्थित की जाती है ; या

(ii) शंका की दशा में उस राज्य का ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जो नियत दिन के पश्चात्, यथास्थिति, उस संघ राज्यक्षेत्रकी सरकार या प्रशासन या केन्द्रीय सरकार द्वारा या नियत दिन के पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार द्वारा तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के रूप में अवधारित किया जाए ।

101. कतिपय मामलों में प्लीडरों का विधि व्यवसाय करने का अधिकार—ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान जम्मू-कश्मीर राज्य में किन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार प्लीडर के रूप में नामांकित किया जाता है, उस दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए, उन न्यायालयों में, इस बात के होते हुए भी कि उन न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उनका कोई भाग संघ राज्यक्षेत्रों में से किसी संघ राज्यक्षेत्रको अंतरित कर दिया गया है, विधि व्यवसाय करने का हकदार बना रहेगा ।

102. अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों से असंगत होने की दशा में प्रभाव—इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

103. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसी कोई बात कर सकेगा जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश, नियत दिन से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

पहली अनुसूची

(धारा 9 देखिए)

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

राज्य सभा के सदस्य

क्र0 सं0	आसीन सदस्य का नाम	कार्यकाल
1.	फैयाज मीर मोहम्मद	11/02/2015 से 10/02/2021
2.	लावाय श्री नजीर अहमद	16/02/2015 से 15/02/2021
3.	मन्हास श्री शमशेर सिंह	11/02/2015 से 10/02/2021
4.	गुलाम नबी आजाद	16/02/2015 से 15/02/2021

दूसरी अनुसूची

[धारा 11(1) देखिए]

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 का संशोधन

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

क्र. सं.	निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
1.	बारामूला	बारामूला जिला
2.	श्रीनगर	श्रीनगर जिला
3.	अनंतनाग	अनंतनाग जिला
4.	उधमपुर	उधमपुर, डोडा और कठुआ जिले
5.	जम्मू	जम्मू, राजौरी और पूंछ जिले

लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र

संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

क्र. सं.	निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार
1.	लद्दाख	लद्दाख जिला

टिप्पण—(i) इस अनुसूची में किसी जिले के प्रति निर्देश से 1 अगस्त, 1975 को उस जिले में समाविष्ट क्षेत्र अभिप्रेत होगा ।

(ii) भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 82 के अधीन संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 में सम्मिलित उन ब्यौरों के अनुसार, जो संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 (सं.आ. 48) द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू है ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

तीसरी अनुसूची

[धारा 14(5) देखिए]

सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1995 का संशोधन

जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र

सभा निर्वाचन-क्षेत्र

क्र०सं०	सभा निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	विस्तार
1	2	3
		कुपवाड़ा जिला
1.	करनाह	करनाह तहसील की सभी पटवार सर्किलें; कुपवाड़ा तहसील का केरान पटवार सर्किल।
2.	कुपवाड़ा	18-सुलाकोट, 20-राडाबग, 22-बुमहामा, 23-द्रगमुल्ला, 25-गुशी, 26-बटेरगम, 27-डाडीकूट, 30-गुलगाम, 31-हर्राई, 32-हायन, 33-त्रेहगम, 34-गुगलोस, 35-क्रालपोर, 36-गुझेरयाल, 37-गुंदीजोना-रेशी, 38-पंजगाम, 39-मीलयाल, 40-शूलूरा, 41-दरदीहैरी-खारागुंड, 42-कुपवाड़ा पटवार सर्किलें और हंडवाड़ा तहसील में 55-मंझगाम पटवार सर्किल।
3.	लोलाब	कुपवाड़ा तहसील में 1-हारदुर्रिंग, 2-चोंतीवाडी, 3-माचिल, 4-कालारोच, 5-खुमरायल, 6-कांथपोरा, 7-वावूरा, 8-मैदानपोरा, 9-खुरहामा, 10-वारनाउ, 11-क्रुसान, 12-सोगाम, 13-दारापोरा, 14-लालपोरा, 15-चांदीगाम, 16-तेकीपोरा, 17-देवार ईंदरबग, 19-मणीगाह, 29-हैहामा, 45-दरदापोरा पटवार सर्किलें।
4.	हंडवाड़ा	हंडवाड़ा तहसील में 8-मैदान चोगाल, 28-तरतपोरा, 29-विलगाम, 30-लीलम, 31-दूलीपोरा, 32-उपाजावाणी, 33-शोगापोरा, 34-नीलीपोरा, 35-मगम, 36-जगरपोरा, 39-बेहनीपोरा, 40-राजपोरा, 41-जचालदारा, 42-वडेर, 43-तुर्कापोरा, 44-चांजीमुल्ला, 45-वाडीपोरा, 46-भाकी अखार, 47-बाटाकूट, 48-ब्रारीपोरा, 49-वारीपोरा गोनीपोरा, 50-नुटानूसा, 51-कंडी खास, 52-हंडवाड़ा, 53-धामा, 54-पंचाकूट और कुपवाड़ा तहसील में 21-केगम, 28-नगरीमलपोरा, 24-नजातपोरा पटवार सर्किलें।
5.	लंगेट	हंडवाड़ा तहसील में 1-लंगेट, 2-उनुसु, 3-पोहरूपेठ, 4-ग्लूरा, 5-मारतगाम, 6-हंगा, 7-शानू, 9-नौगाम, 10-मवार, 11-कलामचकला, 12-अदूरा, 13-हारिल, 14-द्रांगसू-शाह-नागरी, 15-उडीपोरा, 16-क्रालागुंड, 17-लोकीपोरा, 18-किचलो काजीपोरा, 19-खाईपोरा, 20-पंडितपोरा, 21-सुपर-नागम, 22-अशापोरा, 23-सफलपोरा, 24-क्रालपोरा, 25-दीदारपोरा, 26-शाथगुंड-बाल्ला, 27-रावलपोरा, 37-वैसाकावनार, 38-लचामपोरा पटवार सर्किलें।
		बारामूला जिला
6.	उरी	उरी तहसील में सभी पटवार सर्किलें।
7.	राफियाबाद	बारामूला तहसील में 11-चाकलू, 12-नाडीहाल, 13-शितलू, 15-बिनेर काहडूरा; और सोपोर तहसील में 5-नोवपोरा कलां, 8-वातेरगाम, 9-फिदारपोरा, 10-हांदीपोरा, 11-यारबुग, 12-रिबन-रामहामा, 13-लादोरा, 14-रेहामा, 15-चिजाहामा, 16-वानपोरा, 17-पंजाला-गुंडाबाल, 18-सायलकूट, 19-बलहामा-थाकनपूरा, 20-चातूसा, 21-डांगीवाचा, 22-रावाचा, 23-हारदुचानम, 24-बक्शीपोरा-बाटपोरा, 25-जिथान, 36-बहरामपोरा, 37-चितलोरा, 38-अचाबल पटवार सर्किलें।
8.	सोपोर	सोपोर तहसील में अधिसूचित क्षेत्र समिति के साथ 1-सोपोर, 2-वारापोरा, 3-आरामपोरा, 4-डंगरपोरा, 6-वातलाब, 32-सीलू, 33-बोटिंगू, 34-मुंडजी, 35-दूरू, 39-हरडु-शिवा, 41-अडीपोरा-बोमाई, 42-वाडूरा, 40-तुजार-पाहलीहर, 43-हरवान, 44-जालूरा पटवार सर्किलें।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1	2	3
9.	गुरेज़	गुरेज़ तहसील में सभी पटवार सर्किलें ।
10.	बांदीपोरा	बांदीपोरा तहसील में सभी पटवार सर्किलें और सोनावारी तहसील में 1-अजास पटवार सर्किल ।
11.	सोनावारी	1-अजास पटवार सर्किल को छोड़कर सोनावारी तहसील में सभी पटवार सर्किलें ।
12.	संग्रामा	बारामूला तहसील में 16-क्रीरी, 17-विजार, 18-औथोरा, 19-शालकावाड़, 20-नोवपोरा-जागीर, 21-वगूरा, 22-काचुमुकम, 24-मनीगाम, 25-कलांतराबाल्ला, 26-दांदमोह, 27-सुल्तानपोरा कंडी पटवार सर्किलें और सोपोर तहसील में, 7-तरजू, 26-हायगाम, 27-सीर-जागीर, 28-बुलगाम, 29-संग्रामा, 30-क्रांक-शिवेन, 31-वागुब पटवार सर्किलें ।
13.	बारामूला	बारामूला तहसील में 1-लारीडोरा, 2-हीवान, 30-मालापोरा, 4-किचहामा, 50-उष्कारा, अधिसूचित क्षेत्र समिति के साथ 6-खानपोरा, 7-खजाबाग, 8-टाकी-सुल्तान, 9-खाईतांगन, 10-डेलिना, 14-कंसीपोरा, 23-चंदूसा पटवार सर्किलें ।
14.	गुलमर्ग	गुलमर्ग तहसील में सभी पटवार सर्किलें ; और पत्तन तहसील में 2-वाइलू क्रालपोरा, 8-श्रीवारपोरा, 9-चोकर, 10-वारीपोरा-बंगिल, 12-मालमोह, 13-नोवलारी, 16-याल ।
15.	पत्तन	पत्तन तहसील में 2-वाइलू-क्रालपोरा, 8-श्रीवारपोरा, 9-चोकर, 10-वारीपोरा बंगिल, 12-मालमोह, 13-नोवलारी और 16-याल पटवार सर्किलों को छोड़कर ।
		श्रीनगर जिला
16.	कंगन	कंगन तहसील की सभी पटवार सर्किल; और गंडेरबल तहसील में 1-मनीगाम, 2-वाइलू, 3-नुनार पटवार सर्किलें ।
17.	गंडेरबल	1-मनिगाम, 2-वाइलू, 3-नुनार को छोड़कर गंडेरबल तहसील और श्रीनगर तहसील में हरन पटवार सर्किल ।
18.	हजरतबल	श्रीनगर नगरपालिका में वार्ड 16 (श्रीनगर तहसील में न आने वाले मगर गंडेरबल तहसील में आने वाले नगरपालिका संबंधी क्षेत्रों को छोड़कर) और गंडेरबल तहसील में 9-बाचपोरा पटवार सर्किल और वार्ड 17 और वार्ड 12 के निम्नलिखित मोहल्लों को छोड़कर मुगल मोहल्ला, सूरतेंग, ख्वाजापोरा, कोचा निदान, जिंदाशाह और इन वार्डों में नाव में रहने वाली जनसंख्या ।
19.	जादीबाल	श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 14 व 15 और अंचार की नाव में रहने वाली और इन वार्डों के घाटों में रहने वाली जनसंख्या ।
20.	ईदगाह	श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 8 व 11 और श्रीनगर तहसील में 38-पालपोरा और 41-संगम पटवार सर्किलें ।
21.	खानयार	श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 10-13 और वार्ड 12 के निम्नलिखित मोहल्ले-मुगल मोहल्ला, सूरतेंग, ख्वाजापोरा, जिंदाशाह और कोचा निदान और इन वार्डों की नाव पर रहने वाली जनसंख्या ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1	2	3
22.	हवाकादल	श्रीनगर नगरपालिका में वार्ड 7 और 9 एवं वार्ड 6, 7 और 9 की नाव पर रहने वाली जनसंख्या ।
23.	अमिरकादल	श्रीनगर नगरपालिका में (i) नातीपोरा (ग्रामीण), (ii) रावलपोरा (ग्रामीण), (iii) हैदरपोरा (ग्रामीण) को छोड़कर वार्ड 3 और 4 ; तथा चादूरा तहसील में आरामवाड़ी, गुंड चंडाल, स्टिंगू, सूथो किरथेर बाग को छोड़कर तथा बडागाम तहसील में वाटडूर गालवनपोरा लालू और शेसगाम बाघ तथा इन वार्डों तथा वार्ड 5 की नाव पर रहने वाली जनसंख्या ।
24.	सोनवार	श्रीनगर नगरपालिका में वार्ड 1 तथा 2 और तहसील श्रीनगर में बादामी बाग कंटोनमेंट एवं 21-चित्रहामा, 19-दारा, 29-खुनमु, 30-बल्हामा, 31-जेवान पटवार सर्किलें और इन वार्डों में घाटों की नाव पर रहने वाली जनसंख्या ।
25.	बटामालू	श्रीनगर नगरपालिका में वार्ड 5 एवं 6 ; और श्रीनगर तहसील में 6-मुजगंड, 42-बाचीपोरा तेंगपोरा पटवार सर्किलें ।
		बडगम जिला
26.	चादुरा	चादुरा तहसील में निम्नलिखित पटवार सर्किलें:—16-चादुरा, 24-छत्तरगाम, 25-वगोरा, 26-वाथूरा, 27-खंडा, 28-बुगाम बाटापोरा, 29-क्रालापोरा, 30-हयातपोरा, 31-पोहरू, 32-रख सलीना, 33-बगाति कानीपोरा, 34-नोवगाम, 35-कानीहामा, 36-दौलतपोरा, श्रीनगर नगरपालिका के वार्ड 4 की सीमा के बाहर 38-नातीपोरा के ग्रामीण क्षेत्र और 39-लसजन तथा आरामवाडी, गुंड, चंदल स्टेंगू, सुथू, किर्थेरबाग और 40-कुर्सू पादशाहीबाग ।
27.	बडगम	तहसील बडगम में 1-सोइबग, 2-ध्रमना, 3-वहाबपोरा, 4-अर्थ, 5-वडवान, 6-बेमिना, 7-पल्लर, 8-गेरिंड कलां, 9-शोलिपोरा, 10-नस्सरुल्लाह-पोरा, 11-जहामा, 12-वाटर-वानी, 28-चुने, 29-बडगम, 30-ओमपोरा, 31-नर्कारा, 32-हमहमा, 35-करेवा दामोदर, 36-गुंड साथु, 37-इचाकूट, 38-इचगाम, 33-रावलपोरा (ग्रामीण), 34-हैदरपोरा (ग्रामीण) पटवार सर्किलें ।
28.	वीरवाह	वीरवाह तहसील में 1-सुजेत गुरीपोरा, 2-कवूसा खालिसा, 3-कवूसा जागिर, 4-बाटापोरा कनिहामा, 5-सनूर कालिपोरा, 6-हर्दू मालपोरा, 7-बंदागाम, 8-अटलिगाम, 9-मुला-शुल्ला, 10-सोनापाह, 12-गोंडिपोरा, 21-शांगिलपोरा, 22-खाग, 23-मालपोरा खाग, 24-हिमचीपोरा, 25-लालपोरा, 26-बीरवाह, 27-चेवदारा, 28-पेट मुखामा, 29-रथुसन, 30-बोना मखामा, 31-नागम, 32-इस्कंदरपोरा, 33-अरीपंथन, 34-पालपोरा, 36-हर्दुआ-शोर्श पटवार सर्किलें ।
29.	खानसाहिब	बीरवाह तहसील में 11-होखालात्री, 13-पर्थन, 14-कंडूरा, 15-द्रंग, 16-सीताहरन, 17-जोगीखरियन, 18-अरिजल, 19-कमरू, 20-रावलपोरा-बीरवाह और 35-सैल पटवार सर्किलें; और बडगम तहसील में 13-वाटरहेल, 14-ज्वालापोरा, 15-सोंडीपोरा, 16-डालीपोरा, 17-यारीखह, 18-तालापोरा, 19-परनावहा 20-दरियागाम, 21-फ्रेस्टवार खासीपोरा, 22-अरीगाम, 23-खान साहिब, 24-रायथान, 25-कचवाडी, 26-गर्वेत कलां, 27-फलचाल पटवार सर्किलें ।
30.	चरार-ए-शरीफ	चदुरा तहसील में 1-गोगजी पथारी, 2-ब्रिंजन, 3-हफरू बाटापोरा, 4-ब्रानवार, 5-सुरस्यार, 6-डाडा-ओमपारा, 7-हंजुरा, 8-नोवपोरा, 9-पाखरपोरा, 10-हड्दू दलवान फुटलीपोरा, 11-तीलसरह, 12-चरारे शरीफ, 13-बटकालू, 14-दाराबन नवगाम, 15-छटेसन, 17-नगम, 18-बादीपोरा, 19-यारीकलां, 20-रोपोरा नामतिहाल, 21-कनिर, 22-रंगेर, 23-सोगम और 37-नोहर पटवार सर्किलें ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1	2	3
		पुलवामा जिला
31.	ट्राल	ट्राल तहसील की सभी पटवार सर्किलें ।
32.	पमपोरे	पमपोरे तहसील की सभी पटवार सर्किलें और पुलवामा तहसील की 26-अवंतिपोरा, 27-पडगमपोरा, 29-लिल्हर, 46-निहामा और 47-काकापोरा ।
33.	पुलवामा	पुलवामा तहसील की 1-इन्द्र, 2-गंगू, 5-पुलवामा अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 9-रतनिपोरा, 10-पाहू, 11-ट्रिच, 12-कोइल, 13-पिंगलिना, 14-नरवा, 17-लिटर-शिस्टर, 18-नयना, 19-पंजगाम, 20-डोगरीपोरा, 21-ऋषिपोरा, 22-लडेरपुर, 23-नौनगरी, 24-टोकना, 25-मालंगपोरा, 28-लाजूरा, 40-पालापोरा, 45-नेवा, 48-जागीर पारिगाम, 49-तुमची नवपोरा और 50-हाकरीपोरा पटवार सर्किलें ।
34.	राजपोरा	पुलवामा तहसील की 3-करीमाबाद, 4-मोरन, 6-कंगन, 7-वाहीबुग, 8-गूसू, 15-बोनराह, 16-त्रिचाल, 30-रामू, 31-बिल्लोडरगुंड, 32-कस्बायार, 33-द्रुबगाम, 34-मितरीगाम, 35-अभामा, 36-त्रुजान, 37-खायगाम, 38- नूरपोरा पेईन, 39- अरिहल, 41-ताहब-शादीपोरा, 42-अचान, 43-चांदीगाम, 44-राजपोरा पटवार सर्किलें ।
35.	वाची	शोपियान तहसील की 8-कालरू मलिकगुंड, 9-नडिगाम, 11-डंगेरपोरा, 12-तुर्का वंगम, 13-उरापोरा, 14-हरडू-हंडो, 15-हरमैन, 16-चक-चौलेंड, 17-कपरन, 19-डन्गाम, 20-चकोरा, 21-प्रतापोरा, 24-कांजी उल्लर, 25-चित्रगाम, 26-दरिकालपोरा, 27-हेफ, 28-सुगान, 29-अवनेरा, 30-वाची, 31-अगलर, 32-जेनापोरा और 39-अलौपोरा-शेखपोरा पटवार सर्किलें ।
36.	शोपियान	शोपियान तहसील में 1-सैदापोरा, 2-मीमानदार, 3-अरहामा, 4-पिन्जूरा, 5-गानोवपोरा अरिष, 6-बेमनिपोरा, 7-हरापोरा, 10-ट्रेंज, 18-वेहिल्चल-अवटू, 22-सेडयू, 23-राम नगरी, 33-दियारू, 34-वार्थिपोरा, 35-दरमदूरा, 36-जूरा-वदेरहामा, 37-नारापोरा, 38-कीगम, 40-केल्लर मस्तपोरा, 41-पहलीपोरा, 42-सिंधु-श्रीमल, 43-शोपियान, 44-देवीपोरा (वन खंड) पटवार सर्किलें ।
		अनंतनाग जिला
37.	नूराबाद	कुलगाम तहसील की 5-मालवान, 6-पहलू, 7-अखल, 23-गुडेर, 34-ब्रिनाल लंबेर, 46-दमहाल-हांजीपोरा, 47-अहमदा-आबाद, 48-यारू, 49-हरदू-मंदागोरी, 51-मंजगाम, 52-असनूर, 53-वाटू, 54-अविल, 55-खूरी-वाटपोरा, 56-नगम, 57-दनौव-कांडीमार्ग, 58-वादीजेहलान, 59-चिमर, 60-कस्बाखुल, 61-नन्दिमार्ग पटवार सर्किलें ।
38.	कुलगाम	तहसील कुलगाम में 1-कुलगाम अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 2-हनद- चवलगाम, 3-अमनू, 4-चम्बागुन्ड, 11-अषमुजी, 19-मिरहामा, 20-अकेय, 21-परिवान, 22-चेहला, 24-अरेह, 25-बिहिबाग, 26-गोपालपोरा, 38-बुगाम, 39-तारीगाम-देवसर, 43-यामरोच, 44-मुनदगुफ्फन, 45-कतेरसू, 50-लडगूरहामा पटवार सर्किलें
39.	होमशालीबुग	तहसील कुलगाम में 8-ऊरनहल, 9-तुली-नौपोरा, 10-कुजार, 12-रेडवानी, 13-अरवानी, 14-फ्रीसाल, 15-जबलीपोरा, 16-वनपोरा, 17-हस्सनपोरा तावला, 18-खंडी-पाहडी, 40-तारीगाम-देवीबुग, 41-मतिबुग, 42-होमशालीबुग पटवार सर्किलें ।
40.	अनंतनाग	तहसील अनंतनाग में 1-कस्बा भगत, 2-खानावाल, 3-रूहू, 4-कमर, 5-अंचिदूरा, 6-हरदू-चिचान, 10-रणबीरपोरा पटवार सर्किलें ।
41.	देवसर	तहसील कुलगाम में 27-देवसर, 28-बोना देवसर, 29-किलाम-बुजगाम, 30-हबलिशी, 31-निपोरा, 32-लरम-गानीपोरा, 33-चौगाम, 35-रजलू, 36-वलटेगू, 37-सोपत टेंगपोरा, 62-ओरल, पटवार सर्किलें ; और डोरू तहसील में 18-वेसू, 19-नासू बदरगुंड, 20-पंजेठ, 21-कुरीगाम, 23- काजीगुंड अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित पटवार सर्किलें ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1	2	3
42.	डोरू	डोरू तहसील में 1-डोरू, 2-ब्रागाम, 3-ओईबामदूथ, 4-मांटपोरा, 5-लड़कीपोरा, 6-हकुरा-बदासगाम, 7-बाटगुंड, 8-वेरीनाग, 9-सादीबाडा, 10-मुंडहा, 11-हिल्लर, 12-नौगाम शाहाबाद, 13-रेन-चौगुंड, 14-थामानकूट, 15-कमार, 16-हल्सीदार, 17-कापरोन, 22-वानगुंड पटवार सर्किलें।
43.	कोकरनाग	अनंतनाग तहसील में 28-सागम, 29-बिडेर-हयातपोरा, 30-भाई, 31-अकिनगाम, 32-नगाम, 33-सूफ-शाली, 34-पंजगाम, 35-बिन्दो-जुलांगाम, 36-देवलगाम, 37-नलला सुन्द-ब्रारी, 38-लोहार-सांजी, 39-अहलान-गोदोल, 40-खारात्ती, 41-देसू, 42-खारापोरा, 43-कस्बा-नोऊबुघ, 44-माती हंदू, 45-लारनू, 46-कोकरनाग अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 47-अचबल अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित पटवार सर्किलें।
44.	शानगुस	अनंतनाग तहसील में 13-साहिबाबाद, 14-नौगाम, 15-इमोह, 16-ब्राकापुरा, 17-शानगुस, 18-उत्तारसू, 19-क्रेरी, 20-चतरगुल, 21-घीकालपुरा, 22-रानीपोरा, 23-देथो-नागनारायण, 24-गोपालपोरा, 25-तेलवानी, 26-क्वारीगम, 27-आहुपैसन पटवार सर्किलें।
45.	बिजबेहरा	बिजबेहरा तहसील में सभी पटवार सर्किलें और अनंतनाग तहसील में 7-माचाबावन, 11-नानिलांग, 12-अकोरा पटवार सर्किलें।
46.	पहलगाम	पहलगाम तहसील में सभी पटवार सर्किलें और अनंतनाग तहसील में 8-सीर-केनलीगुंड, 9-सालिया पटवार सर्किलें।
		डोडा जिला
47.	किश्तवाड़	तहसील किश्तवाड़ में 1-मारघी, 2-इन्शान, 3-चेरूडू, 4-रेनाई, 5-नौपाची, 6-चांजेर, 7-कादेराना, 8-देहराना, 9-लोपारा, 10-लोहारना, 11-सौउंधार, 19-पाल्मार, 30-त्रिगाम, 31-किश्तवाड़, 32-मट्टा, 33-पूचाल, 34-दूल, 35-बागनाह, 36-गालारबाहटा, 37-अथोली, 38-सोहाल, 39-इश्तिआरी, 40-गुलाबगढ़, 41-मासू, 42-किश्तवाड़ अधिसूचित क्षेत्र समिति और 43-फोरेस्ट ब्लाक पटवार सर्किलें।
48.	इंदरवाल	किश्तवाड़ तहसील में 12-चिंगाम, 13-इंदरवाल, 14-चाटरू, 15-सिगडी, 16-मूल छितर, 17-द्रुबिल, 18-कोचाल, 20-फिल्लर, 21-पखलान, 22-केशवान, 23-शान्दरी, 24-संगना, 25-पटनाजी, 26-ज्वालापुर, 27-लौंडरी, 28-बधात और 29-कारूल पटवार सर्किलें ; भालेसा (गन्दोह) तहसील में 1-जाकयास पटवार सर्किल और थाथरी तहसील में निम्नलिखित हैं :- 1-जंगलवार, 3-मालानू, 4-कांसू, 10-कंडोटे पटवार सर्किलें।
49.	डोडा	डोडा तहसील में 8-देस्सा, 9-धांडल, 10-कास्तीगढ़, 11-शाम्ती, 12-चाका कुंडी, 13-अस्सार, 14-चार्रोटा पटवार सर्किलों को छोड़कर सभी पटवार सर्किलें।
50.	भदरवाह	तहसील भदरवाह की सभी पटवार सर्किलें और भलेसा तहसील में 2-बुधली, 3- चिल्ली, 4-द्रावानी, 5-काहाल जुगासार, 6-बुडवार, 7-चानिसार, 8-किलोट्रान, 9-खारांगल, 10-गंडोह पटवार सर्किलें तथा थाथरी तहसील में 2-जोरा, 5-भाजा, 6-भल्ला, 7-जागति, 8-भल्लारी, 9-रोकाली, 11-पामशायी पटवार सर्किलें।
51.	रामबन (अ.जा.)	रामबन तहसील की 5-सारबागनी पटवार सर्किल को छोड़कर सभी पटवार सर्किलें तथा डोडा तहसील की 8-देस्सा, 9-धांधल, 10-कास्तीगढ़, 11-शाम्ती, 12-चाका, 13-अस्सार, 14-चार्रोटा पटवार सर्किलें ।
52.	बनिहाल	बनीहाल तहसील की सभी पटवार सर्किलें और रामबन तहसील में 5-सारबागनी।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1	2	3
		उधमपुर जिला
53.	गुलाबगढ़	गुलाबगढ़ तहसील में 1-माहोरे, 2-सारह, 3-देवाल, 4-गुलाबगढ़, 5-चासोटे, 6-बागानकोटे, 7-शेरगढ़ी, 8-शिकारी, 9-कांथी, 10-तुलीबाना, 13-शाजरू पटवार सर्किलें और तहसील रिआसी में 16-जिज पटवार सर्किल ।
54.	रिआसी	54 रिआसी तहसील में निम्नलिखित पटवार सर्किलों को छोड़कर:— 1-सालाल, 15-चिंकाह, 16-जिज, 17-थाकराकोटे तथा उधमपुर तहसील निम्नलिखित पटवार सर्किलें:—13-पंजार, 14-लाली, 15-लाडाह, 17-धांडू, 18-झांडावा, 32-बदहोटा और 19-सुहाल ।
55.	गुलअरनास	गुल गुलाबगढ़ तहसील में की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:—11-थुरू, 12-बुधान, 4-कांथान, 15-जुड्डा, 16-धानोआ, 17-काली मस्ता, 18-गूल, 19-थाथरका, 20-संगालदान, 21-फारेस्ट ब्लाक; और रिआसी तहसील में 1-सलाल, 15-चिंकाह, 17-थाकराकोटे पटवार सर्किलें ।
56.	उधमपुर	उधमपुर तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलों को छोड़कर सभी पटवार सर्किलें:—13-पंजार, 14-लाली, 15-लाढा, 17-धांडू, 18-झांडावा, 19-सुहाल, 20-लुधा, 21, बालियां, 27-सुनाल, 29-मीर, 30-काथी, 32-बाधोटा ।
57.	चेनानी (अ.जा.)	चेनानी तहसील की सभी पटवार सर्किलें और ऊधमपुर तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:—20-लाढा, 21-बालियां, 27-सुनाल, 29-मीर, 30-कांथी तथा रामनगर तहसील के निम्नलिखित पटवार सर्किलें:— 10-डुडु, 11-लाट्टी, 31-घोरडी, 33-हरतारियन, 34-धंदाल, 35-बारमीन, 36-नल्ला घोरान ।
58.	रामनगर	रामनगर तहसील की निम्नलिखित सर्किलों को छोड़कर सभी पटवार सर्किलें:—10-डुडु, 11-लाट्टी, 31-घोरडी, 33-हरतारियन, 34-धंदाल, 35-बारमीन, 36-नाला घोरान।
		कठुआ जिला
59.	बानी	बासोहली तहसील में 14-बानी, 15-बांजाल, 16-फतेहपुर, 17-संदरून, 18-रोलका, 19-बुग्गाह, 20-लोवांग, 21-कांथाल, 22-सुरजान, 23-धानग्गार, 24-कोटी, 25-फारेस्ट ब्लाक पटवार सर्किलें तथा बिल्लावर तहसील में 9-गोडुफलाल, 10-बदनोटा, 11-माचाडी, 20-मल्हार पटवार सर्किलें ।
60.	बासोहली	कठुआ तहसील में 1-थेइन, 2-बसंतपुर, 3-लखनपुर, 4-हाटली, 7-त्रिडवान, 36-लखनपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 29-बर्थियान और 30-सोरलैयन तथा बासोहली तहसील में 1-बासोहली, 1क-बासोली अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 2-संधार, 3-हुट्ट, 4-भूंड, 5-सामान, 6-धार जंकार, 7-धार महानपुर, 8-प्लाही, 9-प्रीता, 10-साबेर, 11-पट्टी, 12-इथालिथ, 13-महानपुर पटवार सर्किलें तथा बिल्लावर तहसील में 21-धार डिगनो, 22-हुत्तार, 23-डांबरा पटवार सर्किलें ।
61.	कठुआ	कठुआ तहसील की 5-दिलवान, 6-माहा, 8-खारोटे, 9-तराफ मानजिली, 10-तराफ ताजवाल, 11-कारियां, 12-तराफ बाजवाल, 13-चांगरान, 14-गोविंदसार, 15-चाक सून नूपा, 16-खाखयाल, 17-मीरपुर राम, 18-तराफ बल्ला, 20-काथारीयान, 21-जंगलोटे, 22-लोआगाटे, 23-जखबार, 24-अइरवान, 26-चाक सकता, 27-बुधी, 28-नानन, 31-बारवाल, 32-झेरहेरे, 33-कठुआ फारेस्ट ब्लाक, 34-कठुआ अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 35-पेरलैन तथा 25-फोलोटे पटवार सर्किलें ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1	2	3
62.	बिल्लावर	हीरानगर तहसील की 11-काटली, 17-भाया, 21-डेंगा अंब, 23-धमाल, 25-मंगलूर, 26-चेलाख, 27-सालैन पटवार सर्किलें, तथा बिल्लावर तहसील में 1-रामकोट, 2-माकवाल, 3-सालोरा, 4-राजबल्टा, 5-दांजीसधर, 6-थारा कलवाल, 7-काल्याल, 8-थांथू, 12-कोहाग, 13-माल्टी, 14-दुरांग, 15-धारान कोटे, 16-भाद्दु, 17-बिल्लावर, 18-बिलावर अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 19-बुग्गान, 24-पारनाला, 25-पल्लन पटवार सर्किलें तथा कठुआ तहसील में 19-जुथाना पटवार सर्किलें।
63.	हीरानगर (अ.जा.)	हीरानगर तहसील में 1-जटवाल, 2-नोनाथ, 3-घागवाल, 4-साराथ, 5-भटियारी कोटलान, 6-सानूरा, 7-मावा, 8-नोहरान, 9-चाचवाल, 10-सारती कलां, 12-चाक दुलमा, 13-जोंडी, 14-लोंडी, 15-राजपुरा, 16-कुटाह, 18-गुराह माथियान, 19-बाविया, 20-काटल ब्राहमणा, 24-हमीरपुर, 28-छान रोरियन, 29-मारहीन, 22-सेसवान, 30-खानपुर, 31-हीरानगर, 32-हीरानगर अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित, 33-पंसार, 34-कोरे पुनु, 35-चाक देवा, 36-चाक भगवाना, 36-चाक कहना, 38-चडवाल, 39-फारेस्ट ब्लाक।
		जम्मू जिला
64.	साम्बा (अ.जा.)	साम्बा तहसील में 1- अधिसूचित क्षेत्र समिति साम्बा, 2-साम्बा खास, 3-ताल्लूर, 4-अमली, 5-दुरिन, 6-कतली, 7-रामनगर, 8-पिंगडोर, 11-सुनियान, 10-सरना, 12-भरतगढ़, 13-सुरान, 14-गोरान, 15-बाल्हटर, 17-काटवाल्टा, 18-खराह मडेना, 21-बाघोर, 22-पुरमंडल, 24-मोहरगढ़, 25-बाधारी, 26-कर्द पटवार सर्किलें और जम्मू तहसील में 28-चौडी पटवार सर्किल।
65.	विजयपुर	साम्बा तहसील में 9-खानपुर, 20-विजयपुर, 23-गुराह सलाथियां, 28-हरमंदर, 29-चाक सलारियन, 30-नंगा, 31-लोगवाल, 32-केसो मनहासन, 33-रामगढ़, 34-घो-ब्रह्माना, 35-चाक चटाका, 36-चन्न फटवाल, 37-अब्ताल, 38-स्वांखा, 39-महलशान, 40-रारी, 41-स्माईलपुर, 27-बीरपुर, 42-तरोरे, 43-बागला, 44-गंडवाल पटवार सर्किलें।
66.	नगरोटा	जम्मू तहसील में 39-रंजन, 40-सरोटे, 41-जंडियाल, 42-गोरडा, 44-नगरोटा, 45-दंसाल, 46-झाजर कोटली, 47-थारा, 48-बामयाल, 49-काटल बाटल, 50-शिबा, 51-जगती, 52-जिंदराह, 53-कन्याला, 54-कोठार, 55-खारते, 56-धान, 57-सोंगून, 58-पोंथल, 59-सुरिनसार पटवार सर्किलें और साम्बा तहसील में 16-बेन बजाल्टा, 19-एथाम पटवार सर्किलें।
67.	गांधीनगर	तहसील जम्मू में वार्ड-16 (गांधी नगर), वार्ड-17 (नई बस्ती), वार्ड-22 (छानी रामा), वार्ड-23 (बाहु), 24-डिगियाना, 26-बाहु, 27-सुंजवान, 29-गाडीगढ़, 30-सतवाड़ी।
68.	जम्मू पूर्व	वार्ड 1 से 6, 9, 10, 12 और 15।
69.	जम्मू पश्चिम	वार्ड 7, 8, 11, 13, 14,, 18, 19, 20, और 21।
70.	बिश्नाह	तहसील बिशनाह में सभी पटवार सर्किलें और तहसील जम्मू में 25-नौगरन।
71.	आर॰एस॰ पुरा (अ.जा.)	तहसील आर॰एस॰ पुरा में 1-सल्हार, 2-राथाना, 3-कांडलीहर, 4-खौर, 5-कल्याणा, 14-आर॰एस॰ पुरा अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित 15-खास गिगिअन, 16-चोहल्ला, 19-किरपिंड, 20-कोटली शाह दुला, 25-मर्लिया, 24-दारसोपुर, 35-गोंडला पटवार सर्किलें
72.	सुचेतगढ़	तहसील आर॰एस॰ पुरा में 6-डबलीहार, 7-मागोवाली, 8-परलाह, 9-चाक बाजा, 10-नेकोवाल, 11-जेवरोह, 12-साई कलां, 13-चाक मुलो, 17-बद्याल ब्राह्मण, 18-जेसोर, 21-चाक आगरा, 22-फतेहपुर ब्राह्मण, 25-सामका, 26-बसपुर, 27-रंगपुर मलाना, 28-सुचेतगढ़, 29-चंडू चाक, 30-सातोवाली, 31-घराना, 32-बडयाल काज़ियां, 33-अब्दाल, 34-चकरोई पटवार सर्किलें।
73.	मरह	जम्मू तहसील में 60-प्रह्लादपुर, 61-मंडल, 62-सुम, 65-घोमन्हासन, 66-सोहनजाना, 67-थब, 68-सहरान, 69-रथुआ, 70-चानोर, 71-मकवाल, 72-गोल, 74-गजानसू, 75-कल्याणपुर, 76-काहनाचक, 77-मरह, 78-गंगु-चाक, 79-कालरूप, 80-धातेरयाल, 31-फ्लोरा नागबानी पटवार सर्किलें।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1	2	3
74.	रायपुर दोमाना (अ.जा.)	जम्मू तहसील में 31-पलोरा, 32-मुथि, 33-बारन, 34-सिरी पंडितान, 35-घारोटा, 36-रायपुर दोमाना, 37-कोट भलवाल, 38-अम्ब, 43-कैंक, 63-हक्काल, 64-खंडवाल, 73-भद्रोरा, 82-पांजोरे पटवार सर्किलें ।
75.	अखनूर	तहसील अखनूर में 1-चौकी, 2-चाउरा, 3-काथार, 4-मंदारियन, 8-नरी, 6-अम्बारान, 7-बारूई, 9-गंडेरवान, 10-मंदा, 11-अखनूर खास, 12-सुंगाल, 13-पंगियारी, 14-देवीपुर, 15-चाक किरपालपुर, 16-जाध, 17-मुथि माइरा, 18-राख धोके, 19-सालीओट, 20-घर माजुर, 21-मावा ब्राह्माना, 22-लेहरियान पटवार सर्किलें ।
76.	छंब (अ.जा.)	अखनूर तहसील में 8-मट्टू, 24-गुराह मन्हासन, 25-सरवाल, 23-परगवाल, 26-भलवाल मालु, 27-हमीरपुर, 28-बाकोरे, 29-चाक मलाल, 30-डेरियन, 31-सैंथ, 32-गिगारियाल, 33-खौर, 34-कोट मेरा, 35-पलानवाला, 36-खराह, 37-नथाल, 38-दूरी, 39-छानी देवनू, 40-सामुआन, 41-चाकला पटवार सर्किलें ।
		राजौरी जिला
77.	नौशेरा	11-नारियान को छोड़कर नौशेरा तहसील की सभी पटवार सर्किलें और सुंदरबनी तहसील की सभी पटवार सर्किलें ।
78.	दरहल	3-खावास, 6-कोटे चलवल को छोड़कर बुधाल तहसील की सभी पटवार सर्किलें और थानामंडी तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:-- 5-दरहल, 6-चोदियान, 7-नडियान, 8-उजहान और राजौरी तहसील में 4-नगरोटा पटवार सर्किलें ।
79.	राजौरी	राजौरी तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:--1-गंबीर मुगलान, 2-दानी-धर, 7-बाथुनी, 8-सरोला, 9-सोहना, 10-डूंगी ब्राह्मण 11-कटरमाल, 12-डेयरी डेलोटे, 13-पंज ग्रेन, 14-गलहोटी, 15-फतैहपुर, 17-बागला, 19-रामपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति राजौरी सहित और थानामंडी तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:--1-डोडासन बल्ला, 2-साज, 3-शाहदरा शरीफ, 4-होस्पलोट, 10-थानामंडी अधिसूचित क्षेत्र समिति सहित और 9-भरोरे ।
80.	कलाकोटे	कलाकोटे तहसील की सभी पटवार सर्किलें और राजौरी तहसील की निम्नलिखित पटवार सर्किलें:-- 2-दलहारी, 3-धांगरी, 6-पोथा गरलाना, 16-खानपुर चिंगुस, 18-भादून और नौशेरा तहसील का 11-नरियान पटवार सर्किल और बुधल तहसील का 3-खासकोटे चलवाल ।
		पुंछ जिला
81.	सुरनकोट	सुरनकोट तहसील में सभी पटवार सर्किलें और पुंछ तहसील में 12-राजपुर, 21-शिंद्रा, 22-सेरी ख्वाजा पटवार सर्किलें ।
82.	मेंधार	मेंधार तहसील की सभी पटवार सर्किलें ।
83.	पुंछ हवेली	12-राजपुर, 21-शिंद्रा, 22-शेरी ख्वाजा को छोड़कर पुंछ तहसील की सभी पटवार सर्किलें ।

टिप्पण—इस सारणी में किसी तहसील, पटवार सर्किल (पीसी), वार्ड या एनएसी (अधिसूचित क्षेत्र समिति) के प्रति किसी निर्देश से 1 अप्रैल, 1995 को उस तहसील, पटवार सर्किल, अधिसूचित क्षेत्र समिति या वार्ड के भीतर सम्मिलित क्षेत्र अभिप्रेत होगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

चौथी अनुसूची

(धारा 16, धारा 24 और धारा 54 देखिए)

शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप

1

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं, अमुक, जो ..... की विधान सभा में स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्देशित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा ।"

2

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं, अमुक, जो ..... की विधान सभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा ।"

3

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की मंत्रिपरिषद् के सदस्य के लिए पद की शपथ का प्ररूप

"मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, मैं ..... संघ राज्यक्षेत्र के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंत:करण से निर्वहन करूगां तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना, सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा ।"

4

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र की मंत्रिपरिषद् के सदस्य के लिए गोपनीयता की शपथ का प्ररूप

"मैं, अमुक, ईश्वर की शपथ लेता हूं/सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय ..... संघ राज्यक्षेत्र के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा ।"

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

पांचवीं अनुसूची

(धारा 95 और धारा 96 देखिए)

सारणी 1

जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र; और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू केन्द्रीय विधियां

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
1.	आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय' शब्दों का लोप किया जाएगा।
2.	प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985	धारा 1 की उपधारा (2) के खंड (ख) का लोप किया जाएगा।
3.	आनंद विवाह अधिनियम, 1909	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
4.	माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996	धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।
5.	बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
6.	पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
7.	चिट फंड अधिनियम, 1982	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
8.	सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908	धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (क) का लोप किया जाएगा।
9.	दंड प्रक्रिया संहिता, 1973	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
10.	वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015	धारा 1की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
11.	बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
12.	जांच आयोग अधिनियम, 1952	धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।
13.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
14.	न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971	धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा।
15.	परिसीमन अधिनियम, 2002	धारा 2 की उपधारा (च) का लोप किया जाएगा।
16.	मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1939	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
17.	विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1976	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
18.	दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
19.	ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 1954	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
20.	सुखाचार अधिनियम, 1891	पूर्णतः विस्तारित।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
21.	विद्युत अधिनियम, 2003	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
22.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
23.	सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्म ाण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993	पूर्णतः विस्तारित।
24.	शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
25.	ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
26.	कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
27.	घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
28.	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
29.	साधारण खंड अधिनियम, 1897	पूर्णतः विस्तारित।
30.	राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
31.	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
32.	संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
33.	हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1956	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
34.	हिन्दू संपत्ति व्ययन अधिनियम, 1916	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
35.	हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
36.	हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
37.	हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
38.	बन्दी शनाख्त अधिनियम, 1920	पूर्णतः विस्तारित।
39.	स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
40.	भारतीय बायलर अधिनियम, 1923	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
41.	भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
42.	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
43.	भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882	पूर्णतः विस्तारित ।
44.	भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
45.	भारतीय वन अधिनियम, 1927	पूर्णतः विस्तारित ।
46.	भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
47.	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
48.	भारतीय दंड संहिता, 1860	धारा 1 में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
49.	भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
50.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	पूर्णतः विस्तारित ।
51.	भारतीय न्यास अधिनियम, 1882	धारा 1 में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
52.	भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
53.	न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1995	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
54.	न्यायिक अधिकारी (संरक्षण) अधिनियम, 1850	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
55.	किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
56.	विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
57.	परिसीमा अधिनियम, 1963	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
58.	माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
59.	वयस्कता अधिनियम, 1875	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
60.	गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
61.	मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
62.	मुस्लिम स्त्री (विवाह-विच्छेद पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 1986	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
63.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
64.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
65.	राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
66.	राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
67.	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
67क.	राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
68.	राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
69.	शपथ अधिनियम, 1969	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
70.	विभाजन अधिनियम, 1893	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
71.	भेषजी अधिनियम, 1948	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
72.	मुखतारनामा अधिनियम, 1882	धारा 1 में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
73.	गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
74.	चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
75.	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
76.	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
77.	लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।
78.	बन्दी अधिनियम, 1900	पूर्णतः विस्तारित।
79.	कारागार अधिनियम, 1894	पूर्णतः विस्तारित।
80.	प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
81.	इनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम, 1978	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
82.	अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
83.	बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
84.	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
85.	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
86.	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993	धारा 1 की उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जाएगा ।
87.	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
88.	सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867	पूर्णतः विस्तारित ।
89.	लोक अभिलेख अधिनियम, 1993	पूर्णतः विस्तारित ।
90	रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
91.	धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863	पूर्णतः विस्तारित ।
92.	धार्मिक संस्था (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1988	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
93.	निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
94.	भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
94क.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	धारा 2 में,—)i) उपधारा (1) के खंड (घ) में "जम्मू-कश्मीर राज्य से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा ; और)ii) उपधारा (5) का लोप किया जाएगा ।
95.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
96.	माल विक्रय अधिनियम, 1930	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
97.	अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2007	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
98.	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
99.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	धारा/संशोधन
100.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
101.	वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887	पूर्णतः विस्तारित ।
102.	संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882	पूर्णतः विस्तारित ।
103.	मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994	पूर्णतः विस्तारित ।
104.	वक्फ अधिनियम, 1995	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
105.	सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2014	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।
106.	वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972	धारा 1 की उपधारा (2) में "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सारणी 2

राज्य विधियां, जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को संशोधनों के साथ लागू होंगी

क्रम सं॰	वर्ष	संख्या	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3	4	5
1.	संवत् 1977)1920 एडी)	42	संपत्ति अन्तरण अधिनियम	धारा 139 और धारा 140 का लोप किया जाएगा ।
2.	संवत् 1995)1938 एडी)	5	जम्मू-कश्मीर भूमि का अन्यसंक्रामण अधिनियम	धारा 4 और धारा 4क का लोप किया जाएगा ।
3.	संवत् 2007)1950 एडी)	17	जम्मू-कश्मीर वृहद् भू-संपदा उत्सादन अधिनियम	धारा 20क का लोप किया जाएगा ।
4.	1960	38	जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम	अ. धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों का लोप किया जाएगा ; और आ. धारा 4 की उपधारा (2) के खंड (i(का लोप किया जाएगा ।
5.	1976	17	जम्मू-कश्मीर भूमि संबंधी सुधार अधिनियम	धारा 17 का लोप किया जाएगा ।
6.	1989	10	जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम	धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ii) का लोप किया जाएगा ।
7.	2004	14	जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम	अ. धारा 2 में खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— ‘(छक) ‘‘आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग’’ से ऐसे प्रवर्ग अभिप्रेत हैं, जो सरकार द्वारा खंड (ड), खंड (ढ) और खंड (ण) में परिभाषित वर्गों या प्रवर्गों से भिन्न, कौटुंबिक आय और अन्य आर्थिक अलाभ सूचकों के आधार पर समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ;’ । आ. धारा 3 की उपधारा (1) में,—)i(खंड (क) के अंत में आने वाले “और” शब्द का लोप किया जाएगा ; (ii(खंड (ख) में, “पिछड़ा वर्ग” शब्दों के स्थान पर “पिछड़ा वर्ग ; और” शब्द रखे जाएंगे ; (iii) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— “(ग) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग :”; (iv) पहले परंतुक में, “आरक्षण की कुल प्रतिशतता” शब्दों के स्थान पर “खंड (क) और खंड (ख) में उपबंधित आरक्षण की कुल प्रतिशतता” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;)v) दूसरे परंतुक में, “परन्तु यह और कि” शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— “परंतु यह और कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में नियुक्तियों में आरक्षण, इस उपधारा में यथा उपबंधित विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा : परंतु यह भी कि”।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

1	2	3	4	5
				इ. धारा 9 की उपधारा (1) में,—)i("सरकार, आरक्षित प्रवर्गों तथा" से आरंभ होने वाले और "स्थान आरक्षित करेगी" पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— "सरकार,— (क) आरक्षित प्रवर्गों और ऐसे अन्य वर्गों या प्रवर्गों के, जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं ; और (ख) आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के, अभ्यर्थियों के लिए वृत्तिक संस्थाओं में स्थान आरक्षित करेगी :";)ii(परंतुक में, "आरक्षण की कुल प्रतिशतता" शब्दों के स्थान पर "खंड (क) में उपबंधित आरक्षण की कुल प्रतिशतता" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;)iii(परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु यह और कि वृत्तिक संस्थाओं में आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण इस उपधारा में यथा उपबंधित विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त होगा और प्रत्येक प्रवर्ग में स्थानों का अधिकतम दस प्रतिशत के अध्यधीन होगा :"।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सारणी 3

राज्यपाल वाले अधिनियमों सहित ऐसी राज्य विधियां जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ; और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में निरसित हो गई हैं

क्रम सं0	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
1.	जम्मू-कश्मीर जवाबदेयी आयोग अधिनियम, 2002	2002 का 38
2.	जम्मू-कश्मीर अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1997	1997 का 26
3.	जम्मू-कश्मीर कृषि आय-कर अधिनियम, 1962	1962 का 21
4.	जम्मू-कश्मीर (राज्य) कृषि उपज विपणन विनियमन अधिनियम, 1997	1997 का 36
5.	जम्मू-कश्मीर आनंद विवाह अधिनियम, 1954	2011 का 9
6.	जम्मू-कश्मीर पशु रोग (नियंत्रण) अधिनियम, 1949	2006 का 15
7.	जम्मू-कश्मीर अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1989	1989 का 1
8.	जम्मू-कश्मीर माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1997	1997 का 35
9.	जम्मू-कश्मीर आर्य समाज विवाह (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1942	1999 का 3
10.	जम्मू-कश्मीर आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1959	1959 का 26
11.	जम्मू-कश्मीर बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1920	1977 का 6
12.	जम्मू-कश्मीर बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 2010	2010 का 5
13.	जम्मू-कश्मीर बायलर अधिनियम, संवत् 1991	संवत् 1991 का 4
14.	बौद्ध बहुपत्नीत्व विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1941	1998 का 2
15.	जम्मू-कश्मीर पशु अतिचार अधिनियम, 1920	1977 का 7
16.	जम्मू-कश्मीर पूर्त विन्यास अधिनियम, 1989	1989 का 14
17.	जम्मू-कश्मीर चिट फंड अधिनियम, 2016	2016 का 11
18.	जम्मू-कश्मीर क्रिश्चियन विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1957	1957 का 3
19.	जम्मू-कश्मीर चलचित्र अधिनियम, 1933	1989 का 24
20.	सिविल प्रक्रिया संहिता, संवत् 1977	संवत् 1977 का 10
21.	दंड प्रक्रिया संहिता, संवत् 1989	संवत् 1989 का 23
22.	जम्मू-कश्मीर सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2010	2010 का 18
23.	जम्मू-कश्मीर (राज्य) महिला आयोग अधिनियम, 1999	1999 का 5
24.	जम्मू-कश्मीर जांच आयोग अधिनियम, 1987	1962 का 32
25.	जम्मू-कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987	1987 का 16
26.	जम्मू-कश्मीर न्यायालय अवमान अधिनियम, 1997	1997 का 25
27.	जम्मू-कश्मीर आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1957	1957 का 24
28.	जम्मू-कश्मीर संविदा अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 9
29.	जम्मू-कश्मीर न्यायालय फीस अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 7
30.	जम्मू-कश्मीर प्रतिपाल्य न्यायालय अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 52
31.	जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन अधिनियम, संवत् 1993	संवत् 1993 का 1

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं0	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
32.	जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1958	1958 का 3
33.	जम्मू-कश्मीर दंड विधि संशोधन अधिनियम, 1983	1983 का 10
34.	जम्मू-कश्मीर सीमाशुल्क अधिनियम, संवत् 1958	संवत् 1958 का 8
35.	जम्मू-कश्मीर देही अदालत अधिनियम, 2013	2013 का 15
36.	जम्मू-कश्मीर अभिलेख नाशकरण अधिनियम, 1920	1920 का 12
37.	जम्मू-कश्मीर विस्थापित व्यक्ति (स्थाई बंदोबस्त) अधिनियम, 1971	1971 का 10
38.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम विवाह-विघटन अधिनियम, 1942	संवत् 1999 का 10
39.	जम्मू-कश्मीर दहेज अवरोध अधिनियम, 1960	1960 का 36
40.	जम्मू-कश्मीर सुखाचार अधिनियम, 1920	संवत् 1977 का 14
41.	जम्मू-कश्मीर विद्युत अधिनियम, 2010	2010 का 13
42.	जम्मू-कश्मीर विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1963	1963 का 11
43.	जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि (और) प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1961	1961 का 15
44.	जम्मू-कश्मीर सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 2010	2010 का 19
45.	जम्मू-कश्मीर ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2011	2011 का 14
46.	जम्मू-कश्मीर महामारी अधिनियम, 1920	1977 का 16
47.	(राज्य) निष्क्रान्त (संपत्ति का प्रशासन) (आदेशों, कार्यवाहियों और अधिनियमों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1958	1958 का 4
48.	जम्मू-कश्मीर साक्ष्य अधिनियम, संवत् 1977 (1920 ए.डी.)	संवत् 1977 का 13
49.	जम्मू-कश्मीर घातक दुर्घटना अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 17
50.	जम्मू-कश्मीर वन अधिनियम, संवत् 1987	संवत् 1987 का 2
51.	जम्मू-कश्मीर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1997	1997 का 30
52.	जम्मू-कश्मीर वन (काष्ठ विक्रय) अधिनियम, संवत् 1987	संवत् 1987 का 3
53.	जम्मू-कश्मीर साधारण खंड अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 20
54.	जम्मू-कश्मीर सदाचरण बन्दी (अस्थायी निर्मुक्ति) अधिनियम, 1978	1978 का 7
55.	सरकारी सेवक (निरोध में रखे गए) अधिनियम, 1956	1956 का 15
56.	जम्मू-कश्मीर राज्य में पुनर्व्यस्थापन (या स्थायी वापसी) के लिए अनुदत्त अनुज्ञापत्र अधिनियम, 1982	1982 का 10
57.	जम्मू-कश्मीर संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 19
58.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, 1960	1960 का 2
59.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू संपत्ति व्ययन अधिनियम, संवत् 1997	संवत् 1997 का 16
60.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू विरासत (निर्योग्यता निराकरण) अधिनियम, संवत् 1997	संवत् 1997 का 18
61.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू विवाह अधिनियम, 1980	1980 का 4

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं0	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
62.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू विवाह (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1963	1963 का 16
63.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1957	1957 का 7
64.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956	1956 का 38
65.	जम्मू-कश्मीर हिन्दू विधवा पुनर्विवाह और संपत्ति अधिनियम, संवत् 1989	संवत् 1989 का 29
66.	जम्मू-कश्मीर होम्योपैथी व्यवसायी अधिनियम, 2003	2003 का 8
67.	जम्मू-कश्मीर बन्दी शनाख्त अधिनियम, संवत् 1994	संवत् 1994 का 4
68.	जम्मू-कश्मीर शिशु विवाह निवारण अधिनियम, संवत् 1985	संवत् 1985 का 1
69.	उपकरण (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1959	1959 का 7
70.	न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1971	
71.	जम्मू-कश्मीर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2013	2013 का 7
72.	जम्मू-कश्मीर किशोर धूम्रपान अधिनियम, संवत् 1986	संवत् 1986 का 2
73.	भूमि अर्जन अधिनियम, संवत् 1990	संवत् 1990 का 10
74.	विधि व्यवसायी (फीस) अधिनियम, संवत् 1988	संवत् 1988 का 7
75.	जम्मू-कश्मीर विधिक प्रतिनिधि वाद अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 22
76.	जम्मू-कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1997	1997 का 33
77.	जम्मू-कश्मीर परिसीमा अधिनियम, संवत् 1995	संवत् 1995 का 9
78.	जम्मू-कश्मीर पशुधन अभिवृद्धि अधिनियम, संवत् 1996	संवत् 1996 का 23
79.	जम्मू-कश्मीर स्थानीय प्राधिकरण उधार अधिनियम, संवत् 1997	संवत् 1997 का 6
80.	जम्मू-कश्मीर पागलपन अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 25
81.	जम्मू-कश्मीर माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2014	2014 का 16
82.	जम्मू-कश्मीर व्यस्कता अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 26
83.	जम्मू-कश्मीर आयुर्विज्ञान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1998	संवत् 1998 का 4
84.	जम्मू-कश्मीर गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1974	1974 का 23
85.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम मेहर अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 64
86.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) अधिनियम, 2007	2007 का 4
87.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम विनिर्दिष्ट वक्फ और विनिर्दिष्ट वक्फ संपत्ति (प्रबंध और विनियमन(अधिनियम, 2004	2004 का 8
88.	जम्मू-कश्मीर वन कार्यकरण का राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1987	1987 का 7
89.	(राज्य) समाचारपत्र (अपराध उद्दीपन) अधिनियम, संवत् 1971	संवत् 1971 का 14
90.	जम्मू-कश्मीर नर्स परिषद् अधिनियम, 2012	2012 का 4
91.	जम्मू-कश्मीर परिचर्या गृह और नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन) अधिनियम, 1963	1963 का 39
92.	शासकीय गुप्त बात अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 43

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं0	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
93.	अफीम धूम्रपान अधिनियम, संवत् 2011	संवत् 2011 का 32
94.	आवश्यक सेवा (अनुरक्षण) अध्यादेश, संवत् 2001	संवत् 2001 का अध्यादेश 9
95.	जमाखोरी और मुनाफाखोरी निवारण अध्यादेश, संवत् 2000	संवत् 2002 का अध्यादेश 19
96.	पुलिस शास्ति वृद्धि अध्यादेश, संवत् 2005	संवत् 2005 का अध्यादेश 3
97.	भ्रष्टाचार निवारण अध्यादेश, 2001	संवत् 2001 का अध्यादेश 4
98.	जम्मू-कश्मीर लोक सेवक स्थावर संपत्ति अंतरण (निर्बंधन) अध्यादेश, 2004	संवत् 2004 का अध्यादेश 30
99.	जम्मू-कश्मीर विभाजन अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 30
100.	जम्मू-कश्मीर भागीदारी अधिनियम, संवत् 1996	संवत् 1996 का 5
101	जम्मू-कश्मीर स्थायी निवासी प्रमाणपत्र (प्रक्रिया) अधिनियम, 1963	1963 का 13
102.	जम्मू-कश्मीर भेषजी अधिनियम, संवत् 2011	संवत् 2011 का 53
103.	जम्मू-कश्मीर विष अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 34
104.	जम्मू-कश्मीर गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व लिंग चयन (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 2002	2002 का 31
105.	(राज्य) प्रेस और प्रकाशन अधिनियम, संवत् 1989	संवत् 1989 का 1
106.	जम्मू-कश्मीर चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1988	1988 का 25
107.	जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, संवत् 2006	संवत् 2006 का 13
108.	जम्मू-कश्मीर पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, संवत् 1990	संवत् 1990 का 13
109.	जम्मू-कश्मीर संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1985	1985 का 19
110.	जम्मू-कश्मीर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988	1988 का 23
111.	जम्मू-कश्मीर राज्यगौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1979	1979 का 10
112.	जम्मू-कश्मीर बन्दी अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 33
113.	जम्मू-कश्मीर कारागार अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 31
114.	जम्मू-कश्मीर प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2015	2015 का 9
115.	जम्मू-कश्मीर पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम, 1956	1956 का 12
116.	जम्मू-कश्मीर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1966	1966 का 37
117.	जम्मू-कश्मीर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1997	1997 का 15
118.	जम्मू-कश्मीर घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2010	2010 का 11
119.	जम्मू-कश्मीर भविष्य निधि अधिनियम, संवत् 1998	संवत् 1998 का 22
120.	जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 18
121.	जम्मू-कश्मीर लोक संपत्ति (क्षति का निवारण) अधिनियम, 1985	1985 का 20
122.	जम्मू-कश्मीर लोक सेवक (जांच) अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 28
123.	(राज्य) रणबीर दंड संहिता, संवत् 1989	संवत् 1989 का 12

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं0	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
124.	जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 35
125.	जम्मू-कश्मीर रजिस्ट्रीकरण (संपत्ति अंतरण का संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1955	1955 का 6
126.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यता) अधिनियम, संवत् 2008	संवत् 2008 का 6
127.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1956	1956 का 21
128.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यता) अधिनियम, 1968	1968 का 33
129.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1976	1976 का 1
130.	विलेख रजिस्ट्रीकरण (विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1985	1985 का 9
131.	जम्मू-कश्मीर धार्मिक विन्यास अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 50
132.	जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957	1957 का 4
133.	जम्मू-कश्मीर स्थावर संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम, 1968	1968 का 35
134.	जम्मू-कश्मीर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2009	2009 का 8
135.	जम्मू-कश्मीर माल विक्रय अधिनियम, संवत् 1996	संवत् 1996 का 2
136.	न्यायिक और कार्यपालक कृत्यों की पृथक्ता अधिनियम, 1966	1966 का 40
137.	जम्मू-कश्मीर लघुवाद न्यायालय अधिनियम, संवत् 1968	
138.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, संवत् 1998	संवत् 1998 का 6
139.	जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 38
140.	जम्मू-कश्मीर बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1997	1997 का 37
141.	जम्मू-कश्मीर उत्तराधिकार (प्रमाणपत्र) अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 39
142.	उत्तराधिकार (संपत्ति संरक्षण) अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 36
143.	जम्मू-कश्मीर वाद मूल्यांकन अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 37
144.	जम्मू-कश्मीर अशिष्ट विज्ञापनोां का दमन अधिनियम, संवत् 2003	संवत् 2003 का 9
145.	जम्मू-कश्मीर संपत्ति अंतरण अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 42
146.	जम्मू-कश्मीर मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1997	1997 का 3
147.	जम्मू-कश्मीर न्यास अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 41
148.	जम्मू-कश्मीर रतिज रोग अधिनियम, संवत् 2000	संवत् 2000 का 21
149.	पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2001	2001 का 21
150.	जम्मू-कश्मीर (राज्य) ग्रामीण और शहरी गश्त अधिनियम, 1959	1959 का 24
151.	जम्मू-कश्मीर ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम, संवत् 1990	संवत् 1990 का 5
152.	जम्मू-कश्मीर वक्फ अधिनियम, 2001	2001 का 3
153.	जम्मू-कश्मीर वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1978	1978 का 8

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	राज्यपाल वाले अधिनियम का नाम	राज्यपाल वाले अधिनियम संख्या
1.	जम्मू-कश्मीर राज्य स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 2018	2018 का 6
2.	जम्मू-कश्मीर ओषधि और चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम, 2018	2018 का 8
3.	जम्मू-कश्मीर एकल खिड़की (औद्योगिक विनिधान और कारबार सुविधा) अधिनियम, 2018	2018 का 10
4.	जम्मू-कश्मीर वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2018	2018 का 13
5.	जम्मू-कश्मीर कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 2018	2018 का 24
6.	जम्मू-कश्मीर आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2018	2018 का 34
7.	जम्मू-कश्मीर लैंगिक हिंसा से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2018	2018 का 2
8.	जम्मू-कश्मीर दिव्यांगजन व्यक्ति के अधिकार अधिनियम, 2018	2018 का 40
9.	जम्मू-कश्मीर बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 2018	2018 का 43
10.	जम्मू-कश्मीर राज्य महिला और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2018	2018 का 46
11.	जम्मू-कश्मीर भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2018	2018 का 53

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

सारणी 4

राज्यपाल के अधिनियमों सहित राज्य अधिनियम जो जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त रहेंगे :—

क्रम सं॰	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
1.	जम्मू-कश्मीर आकाशी रज्जुमार्ग अधिनियम, 2002	2002 का 12
2.	जम्मू-कश्मीर भूमि संबंधी सुधार अधिनियम, 1976	1976 का 17
3.	कृषक अनुतोष अधिनियम, संवत् 1983	संवत् 1983 का 1
4.	जम्मू-कश्मीर कृषकोंं और भूमि सुधार को सरकारी सहायता अधिनियम, संवत् 1993	संवत् 1993 का 7
5.	जम्मू-कश्मीर उद्योगोंं को राज्य सहायता अधिनियम, 1961	1961 का 22
6.	जम्मू-कश्मीर भूमि अन्यसंक्रामण अधिनियम, संवत् 1995	संवत् 1995 का 5
7.	जम्मू-कश्मीर शरीर रचना विज्ञान अधिनियम, 1959	1959 का 22
8.	जम्मू-कश्मीर प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 5
9.	जम्मू-कश्मीर बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002	2002 का 16
10.	जम्मू-कश्मीर वृद्ध भू-संपदा उत्सादन अधिनियम, संवत् 2007	संवत् 2007 का 17
11.	जम्मू-कश्मीर वृत्तिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड अधिनियम, 2002	2002 का 25
12.	जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1975	1975 का 28
13.	जम्मू-कश्मीर राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2002	2002 का 24
14.	जम्मू-कश्मीर ईंट भट्ठा (विनियमन) अधिनियम, 2010	2010 का 17
15.	कैम्पिंग और मूरिंग स्थल अधिनियम, संवत् 2004	संवत् 2004 का 12
16.	जम्मू-कश्मीर चौकीदारी अधिनियम, 1956	1956 का 37
17.	जम्मू-कश्मीर नागरिक विधि (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2014	2014 का 3
18.	जम्मू-कश्मीर सिविल न्यायालय अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 46
19.	जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विकेन्द्रीकरण और भर्ती) अधिनियम, 2010	2010 का 16
20.	जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2010	2010 का 14
21.	श्रीनगर और जम्मू क्लस्टर विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016	2016 का 3
22.	जम्मू-कश्मीर राज्य विछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1997	1997 का 12
23.	जम्मू-कश्मीर सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1956	1956 का 24
24.	जम्मू-कश्मीर धृति समेकन अधिनियम, 1962	1962 का 5
25.	जम्मू-कश्मीर निर्माण संक्रिया नियंत्रण अधिनियम, 1988	1988 का 15
26.	जम्मू-कश्मीर सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1989	1989 का 10
27.	जम्मू-कश्मीर ऋणी अनुतोष अधिनियम, 1976	1976 का 40
28.	जम्मू-कश्मीर पुस्तक और समाचारपत्र परिदान)सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1961	1961 का 13
29.	जम्मू-कश्मीर उप मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1957	1957 का 6
30.	जम्मू-कश्मीर उपाध्यक्ष और उप सभापति (उपलब्धियां) अधिनियम, 1956	1956 का 22

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
31.	जम्मू-कश्मीर विकास अधिनियम, 1970	1970 का 19
32.	जम्मू-कश्मीर बाह्य और आंतरिक संचलन (नियंत्रण) अध्यादेश, संवत् 2005	संवत् 2005 का अध्यादेश 5
33.	जम्मू-कश्मीर शत्रु अभिकर्ता अध्यादेश, संवत् 2005	संवत् 2005 का अध्यादेश 8
34.	जम्मू-कश्मीर राज्य आपात अनुतोष निधि अधिनियम, 1960	1960 का 13
35.	जम्मू-कश्मीर उत्पाद-शुल्क अधिनियम, संवत् 1958	
36.	जम्मू-कश्मीर रेजिन निस्सारण अधिनियम, 1988	1988 का 9
37.	जम्मू-कश्मीर राज्य निष्क्रांत (संपत्ति प्रशासन) अधिनियम, संवत् 2006 (1949 ए.डी.)	संवत् 2006 का 6
38.	जम्मू-कश्मीर पारनौका नियंत्रण अधिनियम, 1971	1971 का 18
39.	जम्मू-कश्मीर राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 2006	2006 का 18
40.	जम्मू-कश्मीर पंचायत और नगरपालिका के लिए वित्त आयोग अधिनियम, 2011	2011 का 16
41.	जम्मू-कश्मीर अग्नि बल अधिनियम, 1967	1967 का 22
42.	जम्मू-कश्मीर राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2006	2006 का 12
43.	जम्मू-कश्मीर मत्स्य उद्योग अधिनियम, 2018	2018 का 16
44.	जम्मू-कश्मीर बाढ़ प्रवण क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2005	2005 का 17
45.	जम्मू-कश्मीर राज्य वन निगम अधिनियम, 1978	1978 का 12
46.	जम्मू-कश्मीर वन (संरक्षण) बल अधिनियम, 2001	2001 का 6
47.	जम्मू-कश्मीर फल पौधशाला (अनुज्ञापन) अधिनियम, 1987	1987 का 22
48.	जम्मू-कश्मीर दान माल (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम, 1963	1963 का 40
49.	जम्मू-कश्मीर गोल्फ विकास और प्रबंध प्राधिकरण अधिनियम, 2013	2013 का 8
50.	जम्मू-कश्मीर माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	2017 का 5
51.	जम्मू-कश्मीर सरकारी राजपत्र अधिनियम, संवत् 1945	संवत् 1945 का 12
52.	जम्मू-कश्मीर राज्यपाल विशेष सुरक्षा बल अधिनियम, 2018	2018 का राज्यपाल वाला अधिनियम सं0 42
53.	जम्मू-कश्मीर आभ्यासिक अपराधी (नियंत्रण और सुधार) अधिनियम, 1956	1956 का 11
54.	जम्मू-कश्मीर हस्तशिल्प (क्वालिटी नियंत्रण) अधिनियम, 1978	1978 का 4
55.	जम्मू-कश्मीर परंपरा संरक्षण और परिरक्षण अधिनियम, 2010	2010 का 15
56.	जम्मू-कश्मीर राजमार्ग अधिनियम, संवत् 2007	संवत् 2007 का 27
57.	जम्मू-कश्मीर होमगार्ड अधिनियम, संवत् 2006	संवत् 2006 का 3
58.	जम्मू-कश्मीर आवासन बोर्ड अधिनियम, 1976	1976 का 7
59.	जम्मू-कश्मीर औद्योगिक स्थापन (राष्ट्रीय और त्योहार) अवकाश अधिनियम, 1974	1974 का 13
60.	जम्मू-कश्मीर कारावास महानिरीक्षक (पदनाम में परिवर्तन) अधिनियम, 2001	2001 का 13
61.	जम्मू-कश्मीर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कश्मीर इस्लामिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005	2005 का 28
62.	जम्मू-कश्मीर कचहरी अधिनियम, संवत् 2011	संवत् 2011 का 18

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
63.	जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1969	1969 का 24
64.	कश्मीर रेशम संरक्षण अधिनियम, 1964	
65.	जम्मू-कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1965	1965 का 16
66.	लद्दाख स्वायत पहाड़ी विकास परिषद् अधिनियम, 1997	1997 का 31
67.	लद्दाख बौद्ध संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम, संवत् 2000	संवत् 2000 का 18
68.	जम्मू-कश्मीर लम्बरदारी अधिनियम, 1972	1972 का 10
69.	जम्मू-कश्मीर भूमि अनुदान अधिनियम, 1960	1960 का 38
70.	जम्मू-कश्मीर भूमि सुधार स्कीम अधिनियम, 1972	1972 का 24
71.	जम्मू-कश्मीर भू-राजस्व अधिनियम, संवत् 1996	संवत् 1996 का 12
72.	जम्मू-कश्मीर विधान सभा अध्यक्ष उपलब्धियां अधिनियम, 1956	1956 का 4
73.	जम्मू-कश्मीर विधान परिषद् सभापति (उपलब्धियां) अधिनियम, 1962	1962 का 28
74.	जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल सदस्य पेंशन अधिनियम, 1984	1984 का 2
75.	जम्मू-कश्मीर विधान-मंडल (निर्हरता निवारण) अधिनियम, 1962	1962 का 16
76.	जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल कार्यवाही (प्रकाशन संरक्षण) अधिनियम, 1960	1960 का 37
77.	पथकर उद्ग्रहण अधिनियम, संवत् 1995	संवत् 1995 का 8
78.	जम्मू-कश्मीर प्रवासी स्थावर संपत्ति (परिरक्षण, संरक्षण और करस्थम् विक्रय पर अवरोध) अधिनियम, 1997	1997 का 16
79.	जम्मू-कश्मीर प्रवासी (कार्यवाहियों पर रोक) अधिनियम, 1997	1997 का 17
80.	जम्मू-कश्मीर मंत्री और राज्य मंत्री वेतन अधिनियम, 1956	1956 का 6
81.	जम्मू-कश्मीर मंत्री और पीठासीन अधिकारी चिकित्सा सुविधा अधिनियम, 1975	1975 का 22
82.	जम्मू-कश्मीर साहूकार और प्रत्यायित ऋण प्रदाता अधिनियम, 2010	2010 का 23
83.	जम्मू-कश्मीर मोटर स्प्रिट और डीजल तेल (विक्रय कराधान) अधिनियम, संवत् 2005	संवत् 2005 का 5
84.	जम्मू-कश्मीर मोटर यान कराधान अधिनियम, 1957	1957 का 26
85.	जम्मू-कश्मीर शहतूत संरक्षण अधिनियम, संवत् 2006	संवत् 2006 का 10
86.	जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000	2000 का 20
87.	जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000	2000 का 21
88.	जम्मू-कश्मीर नगरपालिका लोकपाल अधिनियम, 2010	2010 का 20
89.	जम्मू-कश्मीर नगरपालिका लोक प्रकटन अधिनियम, 2010	2010 का 24
90.	जम्मू-कश्मीर मुस्लिम विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1981	1981 का 22
91.	जम्मू-कश्मीर नामधा क्वालिटी नियंत्रण अधिनियम, संवत् 2010	संवत् 2010 का 6
92.	राष्ट्रीय रक्षा निधि स्थावर संपत्ति दान (स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रीकरण से छूट) अधिनियम, 1963	1963 का 5
93.	जम्मू-कश्मीर प्राकृतिक आपदा विनाशक्षेत्र सुधार अधिनियम, संवत् 2011	संवत् 2011 का 38

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
94.	जम्मू-कश्मीर गैर-जैव अवक्रमणीय सामग्री (प्रबंध) रखरखाव और निपटान अधिनियम, 2007	2007 का 12
95.	जम्मू-कश्मीर अप्रचलित विधि (निरसन) अधिनियम, 2010	2010 का 27
96.	जम्मू-कश्मीर पंचायती लोकपाल अधिनियम, 2014	2014 का 5
97.	जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989	1989 का 9
98.	जम्मू-कश्मीर पराचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 2014	2014 का 7
99.	जम्मू-कश्मीर यात्री कराधान अधिनियम, 1963	1963 का 12
100.	जम्मू-कश्मीर पादप रोग और नाशकजीव अधिनियम, 1973	1973 का 14
101.	प्लाईबोर्ड उद्योग (शेयर और औद्योगिक उपक्रमोंं का अर्जन) अधिनियम, 1987	1987 का 6
102.	पुलिस अधिनियम, संवत् 1983	संवत् 1983 का 2
103.	जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1969	1969 का 5
104.	जम्मू-कश्मीर भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1960	1960 का 40
105.	जम्मू-कश्मीर कृषि जोतों का खंडकरण निवारण अधिनियम, 1960	1960 का 25
106.	रिबन विकास निवारण अधिनियम, संवत् 2007	संवत् 2007 का 26
107.	रम रसम निवारण संवत् 1997	संवत् 1997 का 1
108.	जम्मू-कश्मीर अभिध्वंस क्रियाकलापों का निवारण और दमन अधिनियम, 1965	1965 का 22
109.	जम्मू-कश्मीर अनुचित साधन परीक्षा निवारण अधिनियम, 1987	1987 का 20
110.	जम्मू-कश्मीर निजी महाविद्यालय (विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2002	2002 का 22
111.	प्रोबेट और प्रशासन अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 29
112.	जम्मू-कश्मीर वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कर अधिनियम, 2005	2005 का 9
113.	जम्मू-कश्मीर भूमि संपरिवर्तन और फलोद्यान के अन्यसंक्रामण पर प्रतिषेध अधिनियम, 1975	1975 का 8
114.	जम्मू-कश्मीर विनिर्दिष्ट तांबा बर्तन (मशीन द्वारा) विनिर्माण पर प्रतिषेध अधिनियम, 2006	2006 का 8
115.	जम्मू-कश्मीर रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम, 2011	2011 का 6
116.	जम्मू-कश्मीर राज्य धूम्रपान प्रतिषेध (सिनेमा और रंगशाला) अधिनियम, संवत् 2009	संवत् 2009 का 18
117.	जम्मू-कश्मीर धूम्रपान प्रतिषेध और लोक सेवा यान में गैर-धूम्रपानकर्ता का स्वास्थ्य संरक्षण अधिनियम, 1997	1997 का 20
118.	जम्मू-कश्मीर गंदी बस्ती निवासी का संपत्ति अधिकार अधिनियम, 2012	2012 का 11
119.	जम्मू-कश्मीर संपत्ति कर बोर्ड अधिनियम, 2013	2013 का 11
120.	जम्मू-कश्मीर निक्षेपकर्ता (वित्तीय स्थापन में) के हितों का संरक्षण अधिनियम, 2018	2018 का 13
121.	जम्मू-कश्मीर लोक पुरूष और लोक सेवक की आस्ति घोषणा और अन्य उपबंध अधिनियम, 1983	1983 का 5
122.	जम्मू-कश्मीर सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1988	1988 का 17
123.	जम्मू-कश्मीर लोक सुरक्षा अधिनियम, 1978	1978 का 6

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
124.	जम्मू-कश्मीर लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011	2011 का 9
125.	जम्मू-कश्मीर ठेकेदार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1956	1956 का 16
126.	जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1978	1978 का 9
127.	जम्मू-कश्मीर लेखा विनियम अधिनियम, संवत् 2001	संवत् 2001 का 14
128.	जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004	2004 का 14
129.	जम्मू-कश्मीर आवासीय और वाणिज्यिक किराएदारी अधिनियम, 2012	2012 का 5
130.	जम्मू-कश्मीर बंधक संपत्ति प्रत्यास्थापन अधिनियम, 1976	1976 का 14
131.	जम्मू-कश्मीर पूर्व क्रय अधिकार अधिनियम, संवत् 1993	संवत् 1993 का 2
132.	जम्मू-कश्मीर सड़क सुरक्षा परिषद् अधिनियम, 2018	2018 का 5
133.	जम्मू-कश्मीर केसर अधिनियम, 2007	2007 का 5
134.	जम्मू-कश्मीर राज्य विधान-मंडल सदस्य वेतन और भत्ता अधिनियम, 1960	1960 का 19
135.	राज्य विधान-मंडल नेता प्रतिपक्ष वेतन और भत्ता अधिनियम, 1985	1985 का 16
136.	नीलम अधिनियम, संवत् 1989	संवत् 1989 का 16
137.	जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2002	2002 का 21
138.	जम्मू-कश्मीर स्वावलंबी सहकारी अधिनियम, 1999	1999 का 10
139.	जम्मू-कश्मीर राज्य भेड़ और भेड़ उत्पाद विकास बोर्ड अधिनियम, 1979	1979 का 9
140.	शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1982	1982 का 7
141.	शेर-ए-कश्मीर आयुर्विज्ञान संस्थान (डिग्री अनुदान) अधिनियम, 1983	1983 का 12
142.	जम्मू-कश्मीर श्री अमरनाथ जी पूजा स्थल अधिनियम, 2000	2000 का 18
143.	जम्मू-कश्मीर श्री माता सुखराला देवी जी और श्री माता बाला सुन्दरी पूजा स्थल अधिनियम, 2013	2013 का 3
144.	जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी पूजा स्थल अधिनियम, 1988	1988 का 16
145.	जम्मू-कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999	1999 का 12
146.	जम्मू-कश्मीर श्री शिव खोड़ी पूजा स्थल अधिनियम, 2008	2008 का 4
147.	जम्मू-कश्मीर सिख गुरुद्वारा और धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1973	1973 का 15
148.	जम्मू-कश्मीर रेशम (विकास और संरक्षण) अधिनियम, 1988	1988 का 28
149.	जम्मू-कश्मीर विशेष सुरक्षा समूह अधिनियम, 2000	2000 का 6
150.	जम्मू-कश्मीर विशेष अधिकरण अधिनियम, 1988	1988 का 19
151.	स्टांप अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 40
152.	जम्मू-कश्मीर किराएदारी अधिनियम, संवत् 1980	संवत् 1980 का 2
153.	जम्मू-कश्मीर किराएदारी (बेदखली कार्यवाही पर रोक) अधिनियम, 1966	1966 का 33
154.	जम्मू-कश्मीर राज्य नगर योजना अधिनियम, 1963	1963 का 20
155.	जम्मू-कश्मीर निखात निधि अधिनियम, संवत् 1954	

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

क्रम सं०	अधिनियम का नाम	अधिनियम/अध्यादेश संख्या
156.	जम्मू-कश्मीर भूमिगत लोक उपयोगिता (भूमि उपयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 2014	2014 का 4
157.	शहरी स्थावर संपत्ति कर (निरसन और व्यावृत्ति) अधिनियम, 2002	2002 का 28
158.	लद्दाख विश्वविद्यालय अधिनियम, 2018	2018 का राज्यपाल अधि0 सं0 56
159.	जम्मू-कश्मीर शहरी संपत्ति (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1971	1971 का 12
160.	अति ब्याज ऋण अधिनियम, संवत् 1977	संवत् 1977 का 47
161.	जम्मू-कश्मीर भूमि उपयोगिता अधिनियम, संवत् 2010	संवत् 2010 का 9
162.	जम्मू-कश्मीर टीकाकरण अधिनियम, 1967	1967 का 21
163.	जम्मू-कश्मीर सब्जी बीज अधिनियम, संवत् 2009	संवत् 2009 का 12
164.	जम्मू-कश्मीर राज्य सतर्कता आयोग अधिनियम, 2011	2011 का 1
165.	जम्मू-कश्मीर जल संसाधन (विनियमन और प्रबंध) अधिनियम, 2010	2010 का 21
166.	जम्मू-कश्मीर बल्ला (निर्यात और संचलन प्रतिषेध) अधिनियम, 2000	2000 का 16

———